निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 467) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2009

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 सितम्बर 2009

सं0 एल0जी0-1-06/2009/लेज-64—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 29 अगस्त, 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सचिव।

(बिहार अधिनियम 8, 2009)

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन—

(i) उक्त अधिनियम की धारा-12(2) की कंडिका (क) के द्वितीय कण्डिका में शब्द "विहित रीति से" के पश्चात् शब्द "दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-12(2)(क) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द "उत्तरवर्त्ती चुनावों में" के पश्चात् शब्द "दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-12(2)(घ) में शब्द "यथाविहित रीति से" के पश्चात् शब्द "दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-12(2)(घ) के पश्चात् उल्लेखित स्पष्टीकरण "शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1995, पटना नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा-

"शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।"

3. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-29 का संशोधन—

(i) उक्त अधिनियम की धारा-29(1)(क) की द्वितीय कंडिका में शब्द "विहित रीति से" के पश्चात् शब्द "दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-29(1)(क) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द "उत्तरवर्त्ती निर्वाचनों में" के पश्चात् शब्द "दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-29(1)(घ) में शब्द "विहित रीति से" के पश्चात् शब्द "दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्" अन्त:स्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-29(1)(घ) के पश्चात् उल्लेखित स्पष्टीकरण "शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1995 एवं पटना नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा-

"शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।"

4. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-75 का संशोधन।-बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) की धारा-75 के परन्तुक के पश्चात् निम्नांकित एक और परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

"परन्तु यह और भी कि विभाग उपर्युक्त व्यय सीमा में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा परिवर्त्तन कर सकेगा।"

5. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-79 का संशोधन ।-बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) की धारा-79(2) के पश्चात् निम्नांकित एक परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

"परन्तु यह कि राज्य सरकार नगर निकायों को उनके क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए उनके क्षेत्र के अन्तर्गत किसी कार्यक्रम या परियोजना या किसी अन्य कार्य को करने हेतु, जो भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में है, जिसमें किसी एजेंसी को चिन्हित करने का कार्य भी सम्मलित है, के संबंध में उचित निदेश देने के लिए सक्षम होगी, चाहे उसके लिए निधि का स्रोत कोई भी हो।

धारा-79 की उप-धारा-(2) का परन्तुक बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) के लागू होने की तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उक्त परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत की गई कार्रवाई मानी जायेगी"।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

----

3 सितम्बर 2009

सं0 एल0जी0-1-06/2009/लेज-65—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2009 को अनुमत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

(Bihar Act 8, 2009)

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2009

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR MUNICIPAL ACT, 2007 (BIHAR ACT 11, 2007)

BE, it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement*:-(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section 12 of the Bihar Act 11, 2007—*

(*i*) In the second paragraph of section 12 (2) (*a*) of the said Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after "in the prescribed manner."

(ii) In second sentence of third paragraph of section 12(2)(*a*) of the Act, the words "after two consecutive general elections "shall be inserted after the words" during subsequent elections."

(iii) In section 12(2)(*d*) of the Act, the words "after two consecutive general election."Shall be inserted after the words" in such manner as may be prescribed by it."

(iv) The explanation mentioned after section 12(2)(*d*) of the Act "For the removal of doubts it is herby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of officers for the scheduled cast and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Municipal(Amendment) Act, 1995 and Patna Municipal Corporation(Amendment) Act, 1995 shall be substituted as under—

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Municipal Act, 2007."

3. *Amendment of Section 29 of the Bihar Act 11, 2007—*

(*i*) In the second paragraph of section 29(1)(*a*) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "in the prescribed manner."

(*ii*) In second sentence of third paragraph of section 29(1)(*a*) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(*iii*) In section 29(1)(*d*) of the Act, the words "after two consecutive general election." shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(*iv*) The explanation mentioned after section 29(1)(*d*) of the Act "For the removal of doubts it is herby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of officers for the scheduled cast and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Municipal (Amendment) Act, 1995 and Patna Municipal(Amendment) Act, 1995 shall be substituted as under:-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Municipal Act, 2007."

4. *Amendment in section-75 of the Bihar Act, 11,2007*—After section-75 of the Bihar Municipal Act, the following Proviso shall be added—

" Provided further that the department may change the aforesaid expenditure limits by notification issued from time to time."

5. *Amendment in section-79 of the Bihar Act, 11,2007*—After section-79 (2) a proviso shall be added as follows—

Provided further that the State Government shall be competent to issue appropriate direction to urban local self-bodies for undertaking any scheme or project or any other work including identifying any agency for overall development of the urban area within the jurisdiction of such urban bodies irrespective of the source of the fund in respect of any item included in the twelfth schedule to the Constitution of India.

Proviso to Sub-section (2) of Section-79 shall be deemed to be included in Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act No. 11 of 2007) with effect from the date of its enforcement and any action taken by the State Government shall be deemed to have been taken in exercise of power conferred under above proviso.

By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 467-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1933 (श0)
(सं0 पटना 241) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं0 एल0जी0-1-08/2011/लेज: 99—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई, 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 7, 2011]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) में संशोधन के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11. 2007 की धारा-2 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-2 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-(*i*) उपधारा-(100) के बाद निम्नांकित नई उपधाराएँ जोड़ी जायेंगी:-

(101) ''कार्यानुपालन प्रतिवेदन का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243 (वाई)-सह-पठित अनुच्छेद-243 (आई) के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई;

(102) ''क्षेत्र सभा'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-31 के अंतर्गत गठित क्षेत्र सभा;

(103) ''शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सुविधाएँ' का अर्थ है जलापूर्ति, मलवाही नालियाँ एवं जलनिकासी नालियाँ, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गलियों में प्रकाश व्यवस्था और आंतरिक सड़कें;

(104) ''पार्षदों के बोर्ड'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत आम निर्वाचन में अथवा उप-निर्वाचन में निर्वाचित पार्षदों का निर्वाचित निकाय;

(105) ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' का अर्थ है बिहार और उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1925 के अंतर्गत स्थानीय लेखा परीक्षक;

(106) ''सरकार'' का अर्थ है बिहार की राज्य सरकार;

(107) **''लोकप्रहरी'' का अर्थ है** इस अधिनियम की धारा-44 के अंतर्गत नियुक्त लोकप्रहरी';

(108) ''सम्पत्ति कर बोर्ड'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-138 'अ' के अंतर्गत गठित सम्पत्ति कर बोर्ड;

(109) ''गंदीबस्ती'' का अर्थ है कम से कम 100 लोगों अथवा 20 जीर्णशीर्ण रूप से अस्वास्थ्यकर वातावरण में सामान्यत: अपर्याप्त आधारभूत संरचना और समुचित स्वच्छता तथा पीने का पानी की सुविधा के अभाव के बीच निर्मित बासगृह;

(110) ''खाली भूमि'' का अर्थ है कोई भूमि जो क्रय, उपहार अथवा अन्य रूप से अर्जित हो, जिसपर अर्जन के बाद भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तथा भवन से सम्बद्ध भूमि जो भवन उपविधि के अंतर्गत अनुमेय अच्छादन से अधिक भूमि;

(ii) धारा-2 की उप-धारा (57) में संख्या '100' को संख्या '98' के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) धारा-2 की उप-धारा (58) में संख्या '89' को संख्या '87' के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम के अंग्रेजी पाठ की धारा-12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में कोष्ठक और संख्या (1) कोष्ठक और अक्षर (a) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-16 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-16 के खंड (घ) के बाद निम्नांकित नया खंड (ड.) जोड़ा जायेगा; यथा-

(ड.) इस अधिनियम की धारा-17 के अंतर्गत वापस, धारा-18 अथवा धारा-475 के अंतर्गत निरर्हित अथवा धारा-18 'अ' के अंतर्गत हटाया गया।

5. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-16 के बाद नई धारा-16 अ का जोड़ा जाना।**-

उक्त अधिनियम की धारा-16 के बाद एक नयी धारा-16 (अ) जोड़ी जायेगी। यथा:-

''16 अ–पार्षदों के शक्ति एवं कार्य:-(1) नगरपालिका के समक्ष विषयों के पुनर्विलोकन और निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया में विषयवस्तु पर विचार-विमर्श करने में सक्रिय भाग लेना;

(2) नगरपालिका की नीतियों और उद्देश्य का यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्विलोकन करना कि वे स्थानीय क्षेत्र के लिये उपयुक्त हों;

(3) नगरपालिका के संसाधन विनिधान, व्यय एवं कार्यकलापों, विशेषत: गरीबों एवं महिलाओं के लिये इसकी सेवा परिदान की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन;

(4) नगरपालिका की बैठकों में भाग लेना, बैठकों की कार्यसूची एवं रिपोर्टो का अध्ययन एवं उन पर विचार-विमर्श में रचनात्मक भाग लेने के लिये उद्यत रहना;

(5) नगरपालिका के समस्त हित एवं कल्याण पर विचार करना इसकी जानकारी में ऐसी कोई बात लाना जो नगरपालिका के गरीब समुदाय के कल्याण को प्रोन्नत करता हो;

(6) वार्ड स्तरीय विकास योजनाओं को तैयार करने में नगरपालिका की सहायता करना, योजनाओं की तैयारी में सामुदायिक, विशेषत: गरीबों एवं महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना; एवं

(7) सरकार की सामुदायिक कल्याण, विशेषत: गरीबों एवं महिलाओं के कल्याण की योजनाओं के लाभुकों को चिन्हित करने में नगरपालिका की सहायता करना।

6. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा–17 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–17 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा–

(i) उप-धारा (1) का प्रथम परन्तुक निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

'' वापसी की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जायेगी कि जब तक किसी वार्ड के निबंधित मतदाताओं के दो तिहाई मतदाताओं द्वारा यह आरोप लगाते हुये अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया जाता है कि उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद अपने पद पर रहने के अयोग्य है।

धारा–17 की उप-धारा (2) निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''उप-धारा (1) के अधीन जब किसी पार्षद् को वापस बुलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तो राज्य सरकार जैसा कि वह उचित समझे यह जाँचकर एवं संतुष्ट होकर कि कुल निबंधित मतदाओं का बहुसंख्यक पार्षद की वापसी चाहता है, राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भित करेगी।

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नांकित नई उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी; यथा–

''(4)-यदि कोई पार्षद अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में अपचार का दोषी हो अथवा वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष हो या किसी दण्ड न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार के लिये अंतर्गत विवक्षित आदेश के अध्यधीन हो जो राज्य सरकार की राय में उसे पार्षद रहने के अयोग्य बनाता हो तो उसे सुनवाई का एक मौका देने के बाद राज्य सरकार के द्वारा हटा दिया जायेगा।''

7. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–18 का संशोधन।**–उक्त अधिनियम की धारा–18 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा; यथा– ;पद्ध बिहार अधिनियम की धारा–18 (ख) का संशोधन:- उक्त अधिनियम की धारा–18 (ख) के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा; यथा–

''परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो उसे इस आधार पर निरर्हित घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी उम्र पच्चीस वर्ष से कम है।''

(ii) बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा–18 (2) का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा–18 (2) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

''यदि किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रश्न उठे कि नगरपालिका के पार्षद निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात्, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–243–फ में प्रावधान किया गया है एवं इस अधिनियम की धारा–475 या धारा–18 की उप-धारा (1) में उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यधीन है, तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयुक्त को विनिश्चय के लिये सुपुर्द किया जायेगा। निर्वाचन पूर्व या निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी

ऐसे मामले का संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन कर सकेगा।''

8. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-23 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-23 में निम्नांकित संशोधन किया जायेगे यथा।-(i) उक्त अधिनियम की धारा-23 की उप-धारा (1) के शब्दों ''यथा निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन करेगें'' को शब्दों'' राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित करेंगे'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप-धारा (2) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

'(2) यदि उप-धारा (1) के अंतर्गत पार्षद मुख्य पार्षद को निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो राज्य सरकार पार्षदों के बोर्ड को निलंबित कर देगी और एक प्रशासक को नियुक्त करेगी। पार्षदों का बोर्ड उस समय तक के लिये जो पहले हो, निलंबित रहेगा, जबतक कि पार्षद मुख्य पार्षद का निर्वाचन नहीं करते अथवा पार्षदों का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता।''

(iii) उप-धारा (3) में शब्द 'मुख्य पार्षद' के बाद ''या उप-मुख्य पार्षद'' जोड़ा जायेगा।

(iv) उप-धारा (3) में शब्द ''चुनाव करेगा'' के बाद शब्द'' और इस प्रकार निर्वाचित मुख्य पार्षद अथवा उपमुख्य पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा'' से अन्तःस्थापित किया जायेगा।

(v) उप-धारा (3) के बाद निम्नांकित उपधारा (4) जोड़ी जायेगी, यथा- '' (4) यदि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''

9. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।**- (i) उक्त अधिनियम की धारा-25 की उप-धारा (5) में जहाँ कही भी प्रयुक्त शब्द'' प्रमंडलीय आयुक्त'' को शब्द ''सरकार'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और शब्द ''नगरपालिका पर अधिकारिता रखनेवाले'' को विलोपित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-25 की उप-धारा (5) के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा:-

''परन्तु, धारा-44 के अधीन लोकप्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार, इस उप-धारा के अधीन ऐसे लोकप्रहरी की अनुशंसा के आधार पर ही आदेश पारित कर सकेगी।''

(iii) हिन्दी पाठ की उप-धारा (5) की दूसरी कंडिका को उप-धारा (6) के रूप में संख्यांकित करते हुये इसकी अंतिम कंडिका के शब्दों ''प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।'' विलोपित किया जायेगा।

10. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-27 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। यथा, ''27'' (1) (क) इस अधिनियम की धारा-21 की उप-धारा (2) में प्रावधानित सशक्त स्थायी समिति के सदस्य और धारा-21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मुख्य पार्षद द्वारा नामित अन्य सदस्य तब तक पदधारण करेगे जब तक कि:-

(ख) अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्तलिखित त्यागपत्र के द्वारा पद त्याग करें। इस मामले में त्याग पत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जब वह अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत हो, या

(ग) अध्यक्ष के लिखित आदेश के द्वारा हटा दिया जाय,

परन्तु यह कि नामित होने के दो वर्षो के अंदर सशक्त स्थायी समिति के किसी सदस्य को नहीं हटाया जायेगा।

(घ) धारा-23 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद के द्वारा अध्यक्ष पद धारण करने की स्थिति में मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने का अन्य कारणों से हुई रिक्ति,

(2) धारा-23 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशक्त स्थायी समिति को पुनर्गठित करेगा।''

11. बिहार अधिनियम, 11, 2007 में नई धारा–27 अ एवं आ का जोड़ा जाना।–

उक्त अधिनियम की धारा–27 के पश्चात् निम्नांकित धारा–27 अ एवं 27 आ अंत:स्थापित किया जायेगा; यथा।–

''27 अ मुख्य पार्षद के शक्ति तथा कृत्य:-

(1) मुख्य पार्षद नगरपालिका का कार्यपालक अध्यक्ष होगा और नगरपालिका प्रशासन उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है।

(2) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उपमुख्य पार्षद अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।

(3) यदि मुख्य पार्षद यथा प्रावधानित सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो ऐसी बैठक उपमुख्य पार्षद/मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा बुलायी जायेगी।

(4) सशक्त स्थायी समिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक में विचारणीय विषय मुख्य पार्षद के निर्देशन में तैयार किये जायेगें और यह सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों एवं पार्षदों के बोर्ड में मुख्य पार्षद द्वारा यथा निर्धारित रीति से परिचालित किया जायेगा।

(5) यदि मुख्य पार्षद की राय में आपवादिक परिस्थितयों में किसी ऐसे कार्य का तुरंत क्रियान्वयन आवश्यक हो जिसमें सामान्यत: सशक्त स्थायी समिति अथवा पार्षदों के बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होता है, तो वह ऐसे कार्य का तुरंत क्रियान्वयन निर्देशित कर सकता है;

परन्तु यह कि यथास्थिति ऐसे मामलों को वह तुरंत सशक्त स्थायी समिति या पार्षदों के बोर्ड को इस धारा के अंतर्गत किये गये कार्य एवं उसका कारण प्रतिवेदित करेगा।

27–आ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के शक्ति एवं कृत्य:–

(1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा तथा नगरपालिका के सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होगा।

(2) मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अध्ययीन, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिये नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होगें।

(3) राज्य सरकार के द्वारा उसकी सेवा की वापसी पर विचार के उद्देश्य से बुलायी गई बैठक को छोड़कर वह पार्षदों की बैठकों एवं समितियों की बैठक में उपस्थित रहेगा और ऐसी बैठकों में विवरण प्रस्तुत करने, तथ्यों को स्पष्ट करने का अधिकार होगा किन्तु ऐसी बैठकों में पक्ष अथवा विपक्ष में मत नहीं देगा अथवा प्रस्ताव उपस्थापित नहीं करेगा।

(4) मुख्य पार्षद द्वारा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों, कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों के अध्यधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमावली/उप विधि द्वारा प्रदत्त अपने किसी शक्ति, कर्त्तव्य एवं कृत्य को अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति अथवा पार्षदों के बोर्ड अथवा नगरपालिका समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों को जबतक कि ये निर्णय इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा निरस्त अथवा निलंबित नहीं कर दिया जाय, विधि के प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वित करेगा।

(7) किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जिसे इस हेतु मुख्यपार्षद के द्वारा नामित किया जाय।''

12. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-30 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-30 की उप-धारा (6) की संख्या ''369'' को संख्या ''342'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-31 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-31 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

''31-वार्ड समिति और क्षेत्र सभा।- (1) नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड समिति और सरकार द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्र सभाएँ होंगी।

(2) वार्ड समिति और क्षेत्र सभा का गठन और कार्य नियमावली के अंतर्गत सरकार द्वारा यथा निर्धारित होंगे;

परन्तु यह कि जनसंख्या एवं अन्य संगत विचारों के आधार पर सरकार इस अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत यथा प्रावधानित गठन को निबंधित कर सकेगी।

14. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-32 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-32 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-

(i) उप-धारा (1) के खंड (ग) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

''(ग) गंदी बस्ती उन्नयन और शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएँ''

(ii) उप-धारा (4) में शब्द ''विषय समिति के गठन'' को ''विषय समिति में महिलाओं के लिए आरक्षण'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) उप-धारा (4) के बाद निम्नांकित नई उप-धारा (4 क) जोड़ी जायेगी, यथा-

(4 क) आम निर्वाचन के प्रथम बैठक के बाद एक महीने के अंदर पार्षदों के बोर्ड के द्वारा अपने सदस्यों के बीच से उप-धारा (1) में संदर्भित विषय समिति का निर्वाचन किया जायेगा;

परन्तु यह कि कोई भी पार्षद ऐसी दो समितियों से अधिक के लिये नहीं चुना जायेगा।''

(iv) उप-धारा (6) निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा।-'' (6) प्रत्येक विषय समिति अपने सदस्यों में से एक को अपना अध्यक्ष चुनेगी,

परन्तु यह कि कोई सदस्य एक ही समय में एक से अधिक विषय समिति का अध्यक्ष नहीं होगा;

परन्तु यह और कि कोई भी सदस्य किसी विषय समिति का लगातार दो बार से अधिक अध्यक्ष नहीं होगा।''

15. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-36 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-36 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-

(क) उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में शब्द ''वित्त सेवा के बाद शब्द'' अथवा ''बिहार लेखा सेवा'' जोड़ा जायेगा।

(ख) उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (vi) के बाद एक नया उपखंड (vii) जोड़ा जायेगा, यथा-

"(vii) नगरपालिका आंतरिक अंकेक्षण,"

''(ग) उप-धारा (9) में शब्द ''साठ'' को शब्द ''पैंसठ'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

16. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-38 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-38 के अंग्रेजी पाठ में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगेः-

(i) खण्ड (a) में अक्षर 'A' के बाद शब्द और अक्षर " and B" अन्तःस्थापित किया जायेगा तथा शब्द "The Chief Municipal Officer" को ''Government'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) खण्ड (b) विलोपित किया जायेगा।

(iii) खण्ड (c) को खण्ड (b) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

17. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-41 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-41 में एक और परन्तुक जोड़ा जायेगा। यथा-

"परन्तु यह और कि पदाधिकारी की वापसी के संबंध में निर्णय उसके पदस्थापन के एक वर्ष के अंदर नहीं लिया जायेगा।"

18. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-44 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-44 को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

"44-लोकप्रहरी- (1) राज्य सरकार किसी मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/नगरपालिका के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के विरूद्ध शपथ पत्र में वर्णित या राज्य सरकार से संदर्भित या उसकी सूचना में आये भ्रष्टाचार, अपचार, ईमानदारी का अभाव अथवा किसी प्रकार के अनाचार अथवा कुप्रशासन अथवा अपराध की जाँच यथाशीघ्र किन्तु तीन महीनों से अनधिक में, आदेश पारित करने के लिये उतनी संख्या में लोकप्रहरी की नियुक्ति करेगी जैसा कि समय-समय पर निर्धारित की जाय।

(2.) लोकप्रहरी की नियुक्ति की योग्यता, सेवा शर्त्त, पदावधि और शक्ति तथा कर्त्तव्य वह होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाये।

(3.) राज्य सरकार ऐसी जाँच करने, अथवा कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने जैसा कि सरकार द्वारा नियमावली के द्वारा निर्धारित की जाय, अधिसूचना द्वारा लोकप्रहरी को दायित्व सौंपेगी।

19. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-45 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-45 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iv) में शब्द "सामाजिक न्याय" के बाद शब्द" गंदी बस्ती उन्नयन और शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएँ उपलब्ध कराने" जोड़ा जायेगा।

20. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-48 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-48 की उप-धारा (2) के अंग्रेजी पाठ में निम्नांकित संशोधन किये जायेगे:-

(i) शब्द "one fifth" शब्द संख्या और अक्षर "2/5th" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) "Municipality" शब्द के बाद "within fifteen days" अन्तःस्थापित किये जायेगे।

21. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 50 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-50 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-

(i) उप-धारा (1) की संख्या "1/5" को संख्या "2/5" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप-धारा (3) में शब्द, कोष्ठक और संख्या "उप-धारा (2) के बाद शब्द "पीठासीन प्राधिकारी के द्वारा, जैसा कि वह सुविधाजनक समझे, तिथि, समय और स्थान निर्धारित किया जायेगा जो स्थगन की तिथि से तीन दिनों के पहले नहीं होगा। बाद की बैठक के लिये बैठक स्थगित किये जाने के दिन नगरपालिका के कार्यालय में प्रदर्शित सूचना पर्याप्त होगी" अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

22. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-51 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-51 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-

(i) उपधारा (1) में शब्द "अध्यक्षता करेगा" के बाद शब्द "यदि मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद दोनों बैठक में अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे" जोड़ो जायेंगे।

(ii) उप-धारा (1) के परन्तुक के बाद एक नया निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा,

" परन्तु यह और कि यदि बैठक मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद दोनों को हटाने के लिये बुलायी जाय तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।"

23. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-73 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-73 में उप-धारा (2) के शब्द "गंदी बस्ती सेवा" को शब्द" गंदी बस्ती उन्नयन और शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएँ," से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

24. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-82 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-82 की उप-धारा (7) के बाद एक नई उप-धारा (8) जोड़ों जोयगी, यथा-

"(8) आय-व्ययक प्राक्कलन, उस प्रपत्र में और उस रीति से, जैसा कि निर्धारित किया जाय, तैयार, उपस्थापित और पारित किया जायेगा।"

25. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-87 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-87 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''87-लेखा निर्देशिका तैयार करना।- राज्य सरकार प्रोदभवन आधारित द्वैध प्रवेश लेखा प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिये एक निर्देशिका तैयार, अद्यतन और संधारित करेंगी जिसमें नगरपालिओं से सम्बन्धित वित्त एवं लेखा संबंधी सभी विवरण रहेंगे।''

26. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-88 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-88 की उप-धारा (1) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

"(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्ववर्ती वर्ष की नगरपालिका की लेखा से संबंधित निधि वहाव विवरण, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र वर्ष की समाप्ति के चार महीने के अंदर तैयार करायेंगे।''

27. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-91 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-91 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-

(i) उप-धारा (2) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा- ''(2)- स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के दोनों सदनों में रखा जायेगा।''

(ii) उप-धारा (3) में शब्द ''नियंत्रक महालेखा परीक्षक'' को शब्द'' स्थानीय लेखा परीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(iii) उप-धारा (6) के शब्द ''लेखा परीक्षक'' को शब्द'' स्थानीय लेखा परीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

28. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-92 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-92 की उप-धारा (1) का शब्द ''नियंत्रक महालेखापरीक्षक'' शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा,

29. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-93 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-93 की उप-धारा (1) का शब्द ''लेखापरीक्षक'' को शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

30. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-94 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-94 की उप-धारा (1) में शब्द ''नियंत्रक महालेखा परीक्षक'' जहाँ कहीं आया शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

31. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-98 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-98 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के बाद एक नया खंड (गग) जोड़ा जायेगा, यथा-

''(गग) धारा-90 के अंतर्गत लेखा परीक्षक एवं धारा 97 के अंतर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षक के प्रत्येक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् कार्यानुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा एवं उसे अनुमोदित करना।''

32. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-127 का संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-127 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे यथा-

(i) उप-धारा (1) के खंड (क) में शब्द ''जमीनों'' के बाद शब्द ''खाली पड़ी जमीनों सहित'' को अंत:स्थापित किया जायेगा,

(ii) उप-धारा (1) के खंड (ड) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा-

''(ड) संचार मीनार अथवा सम्बन्धित संरचना/डिस्क एनटेना।''

(iii) उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के शब्द ''परन्तु यह कि'' के बाद'' किसी व्यक्ति के द्वारा, जो भूमि और भवन पर सम्पत्ति कर का दायी है, भूमि अथवा भवन अथवा दोनों अर्जित करने के 30 (तीस) दिनों के अंदर सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु अर्जित ऐसे अर्जन की सूचना नगरपालिका को देगा। ऐसी सूचना देने में विफल होने पर उसे सूचना छिपाने के आधार पर अर्जन की तिथि से देय बकाये तथा उस पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक, जैसा कि राज्य सरकार नियमावली के अंतर्गत निर्धारित करे, दंड के साथ भुगतान का दायी बनावेगा'' अंत: स्थापित किया जायेगा।

(iv) उप-धारा (3) के द्वितीय परन्तुक में शब्द- ''असंलग्नता या अवनिर्धारण'' को शब्द ''सम्पत्ति कर निर्धारण के लिये जानबूझ कर तात्विक जानकारी छिपाना'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(v) उप-धारा (4) में एक नया खंड (ii) अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा-

(ii) ''यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि कोई धृति प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क अथवा अन्य सड़क पर अवस्थित है, प्रत्येक धृति का मुख्य प्रवेश द्वार विनिश्चित करने वाला कारक होगा। ऐसे मामलों में जहाँ धृति एक से अधिक सड़कों पर अवस्थित हो, प्रधान मुख्य सड़क मुख्य सड़क पर अभिभावी होगी-और मुख्य सड़क अन्य सड़क पर अभिभावी होगी।

(vi) उप-धारा (4) के खंड (ग) के उपखंड के खंड (ii) में ''कौरेगेटेड चादर'' के बाद तिर्यक/और शब्द''/ पत्थर अथवा किसी स्थायी उपादान'' अंतःस्थापित किये जायेंगे-

(vii) उप-धारा (4) के खंड (ग) के बाद निम्नांकित खंड (घ) और (ड.) अंतःस्थापित किये जायेंगें-

''(घ) (i) स्वयं के दखल में,

(ii) किरायेदार के दखल में,

(ड.) धृति के गैर आवासीय उपयोग के प्रकार-

(i) होटल, रेस्तराँ, क्लब, सिनेमाघर, अतिथिगृह, विवाह भवन और मनोरंजन के सभी जगह,

(ii) दुकान, प्रदर्शन कक्ष,

(iii) व्यावसायिक कार्यालय, बैंक, अस्पताल और उपचर्यागृह, औषधालय, जाँचघर,

(iv) सरकारी कार्यालय एवं संस्थाएँ,

(v) उद्योग, कर्मशालाएँ,

(vi) विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएँ, शोधसंस्थाएँ,

(vii) पूर्त्त न्यासों द्वारा अलाभ-अहानि के आधार पर गरीबों, विकलांगों, महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिये चलाये जाने वाले शैक्षिक और सामाजिक संस्थाएँ,

(viii) धार्मिक स्थान

(ix) वैसी धृति जो (i) से (viii) के अंदर आच्छादित नहीं है।''

(viii) उप-धारा (6) मे ंएक निम्नांकित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा-

''परन्तु यह कि ऐसे मामलों में जहाँ सम्पत्ति पर तालाबंदी पायी जाय अथवा किसी भी कारण से कारपेट क्षेत्र की नापी के लिये प्रवेश्य नहीं हो नगरपालिका सम्पत्ति कर के निर्धारण के उद्देश्य से कुर्सीक्षेत्र के 75 प्रतिशत भाग को उस समय तक के लिये कारपेट क्षेत्र मानेगी जबकि पश्चात्वर्ती वर्षो में वह सम्पत्ति प्रवेश्य हो।''

(ix) उप-धारा (7) के खंड (i) के शब्द ''निर्माण के प्रकार'' को शब्द ''निर्माण के प्रकार, धृति की धारिता एवं धृति के गैर आवासीय उपयोग के प्रकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(x) उप-धारा (8) में खंड (iv) के बाद एक नया खंड (v) अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा-

"(v) खाली भूमि पर सम्पत्ति कर क्रमशः न्यूनतम एक रूपये और अधिकतम पाँच रूपये प्रतिवर्ग मीटर धारा-127 (4) (1) (क) में परिगणित मानदंडों के आधार पर भूमि की अवस्थिति के अनुसार लगाया जायेगा। लगायी जाने वाली दर का निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्मित नियमावली के द्वारा किया जायेगा।''

33. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-128 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-128 में शब्द ''नगरपालिका'' के बाद शब्द और अंक ''धारा-127 के अंतर्गत लगाये गये सम्पति कर के अतिरिक्त'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

34. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-130 का प्रतिस्थापित किया जाना।- उक्त अधिनियम की धारा- 130 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''**130 कर और फीस पर अधिभार लगाया जाना**-राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोग पर 2.5 प्रतिशत कर, उपभोक्ता अधिभार, शुल्क अथवा दण्ड लगा सकेगी।''

35. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 में नई धाराओं का जोड़ा जाना।**-उक्त अधिनियम की धारा-138 के बाद निम्नलिखित नई धारा-138 अ एवं आ जोड़ी जायेगी-

''**138 अ-सम्पत्ति कर बोर्ड**- राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड स्थापित करेगी जो राज्य की सभी नगरपालिकाओं को सम्पत्ति कर निर्धारण की स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में सहायता करेगा।

138 आ-सम्पत्ति कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य-सम्पत्ति कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता तथा निरर्हता, उनकी नियुक्ति एवं कृत्य ऐसी रीति से होगी जैसा कि विहित की जायेगी।''

36. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-317 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-317 में शब्द ''पारित'' के बाद शब्द ''नहीं'' अन्त:स्थापित किया जायेगा।

37. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-322 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-322 की उप-धारा-(2) के हिन्दी मूल पाठ में शब्द ''सौ'' को शब्द ''हजार'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

38. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-416 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-416 के परन्तुक में शब्द ''हेतु'' के बाद शब्द ''नहीं'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

39. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-428 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-428 के शब्द ''पदाधिकारी'' शब्द ''प्राधिकारी'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

40. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-441 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-441 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे:-

(i) शब्द ''राज्यपाल'' को शब्द ''राज्य सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) परन्तुक के बाद एक नया निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा।:-

''परन्तु यह और कि आम निर्वाचन के पश्चात् विभिन्न कारणों यथा त्याग-पत्र, मृत्यु, पदच्युति, न्यायिक आदेश अथवा अन्य कारण आदि के अधीन रिक्त होने वाले पदों के लिए राज्य सरकार के स्तर से अधिसूचना निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे रिक्त पदों पर अपनी सुविधानुसार संबंधित जिला दण्डाधिकारी से विमर्श कर तथा सरकार को सूचित कर यथाशीघ्र निर्वाचन कराने की कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

27 मई 2011

सं0 एल0जी0-1-08/2011/100/लेज:।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत नगर विकास एवं आवास विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 7, 2011]

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR MUNICIPAL ACT, 2007 (BIHAR ACT 11, 2007)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement-** This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011
   (1) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
   (2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of Section 2 of the Bihar Act 11, 2007**-In section-2 of said Act the following Amendments shall be made, namely-(i) after sub-section-(100) the following new subsections shall be added, namely-

(101) "Action Taken Report" means action taken by the Government on the Report of the State Finance Commission constituted by the Government under Article 243-Y, read with Article 243-I of the Constitution of India

(102) "Area Sabha" means Area Sabha constituted under Section 31 of this Act;

(103) "Basic Services for the Urban Poor" means water supply, sewerage and drainage, toilets, solid waste management, streetlight, and internal roads

(104) **"Board of Councillors**" means the elected body of the Municipality consisting of Councillors elected in general election under Section- 12 of this Act or in a by-election of a Municipality.

(105) "Examiner of Local Accounts" means the Examiner of Local Accounts under the Bihar and Orissa Local Fund Audit Act, 1925

(106) "Government" means the State Government of Bihar.

(107) "Lok Prahari" means Lok Prahari to be appointed under Section-44 of this Act

(108) "Property Tax Board" means the Bihar Property Tax Board created under Section 138A of this Act

(109) "Slum" means a compact area of at least 100 people or about 20 households of poorly built congested tenements, in unhygienic environment usually with inadequate infrastructure and lacking proper sanitation and drinking water facilities.

(110) "Vacant Land" means any land acquired through purchase, gift or otherwise on which building is not constructed after acquisition and also the appurtenant land of a building that exceed the permissible ground coverage under the building bye-laws"

(ii) English version of the Act in the subsection- (57) of section-2 the number '100' shall be substituted by the number '98'

(iii) English version of the Act in the subsection- (58) of section-2 the number '89' shall be substituted by the number '87'

3. **Amendment of Section- 12 of the Bihar Act 11, 2007**- In English version of the said Act in clause (b) of subsection-(2) of section-12 of the bracket and number '(1)' shall be substituted by the bracket and letter '(a)'

4. Amendment of Section- 16 of the Bihar Act 11, 2007-

After clause (d) of section-16 of the said Act the following new clause (e) shall be added, namely-

"(e) Recalled under section- 17 of this Act, disqualified under section- 18 or section- 475 of this Act or removed under section- 18 (A)."

5. **Amendment of Section 16 of the Bihar Act 11, 2007-** After section- 16 of the said Act a new section-16 A shall be added, namely-

"16 A - Powers and functions of the Councillor- (1) to attend Municipality's meetings.

(2) To carefully study the matters placed before the Municipality for consideration and take an active part in Municipality's decision-making processes.

(3) To take active part in determining Municipality's objectives and policies to ensure that they are appropriate for the local area.

(4) To carefully study Municipality's resource allocation, expenditure incurred and efficiency and effectiveness of its service delivery especially to the poor and women and ensure equitable allocation of resources for service delivery to all sections of society.

(5) To bring to the Municipality's attention anything falling within the Bihar Municipal Act, 2007 that would promote the welfare of or protect the interests of the communities especially the poor.

(6) To actively participate in Ward Committee meetings and facilitate preparation of development plans in consultation with Ward communities especially the poor and the women.

(7) To observe implementation of development plans and programmes in his Ward and bring to the notice of the Municipality any gaps or shortcomings needing correction.

(8) To help the Municipality in identification of beneficiaries of government programmers for the welfare of the communities, especially the poor and the women."

6. **Amendment of Section- 17 of the Bihar Act 11, 2007**-In section-17 of said Act the following the amendment said Act namely-

(i) The first proviso of sub-section (1) shall be substituted by the following, namely-

"Provided that no process of recall shall be initiated unless two-thirds of the registered electors of any ward submit a representation to the State Government alleging that the Councillor representing the Ward is unfit to continue in office"

Sub-section-(2) of Section-17 shall be substituted by the following -: "When the proposal to recall a Councillor is presented to the State Government under the first proviso to Sub-section (1), the State Government after making such enquiry as deemed fit and satisfying itself that majority of the registered voters of the ward desire the recall of the Councillor, shall make a reference to the state election commission"

(ii) After sub-section-(3) the following the new subsections shall be inserted, namely-

"(4) if a Councillor is found guilty of misconduct in discharge of his duties, or if he is convicted of any such offence, or subjected by a criminal court to any such order as implies moral turpitude which in the opinion of the State Government, renders him unfit to be a Councillor, he shall be removed by the State Government after giving him an opportunity of being heard."

7. **Amendment of Section-18 of the Bihar Act 11, 2007**-In section-18 said Act the following amendments shall be made, namely-

(i) Proviso to the section-18 (b) of the said Act shall be substituted by the following:-

"Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty five years of age, if he has attained the age of twenty one years."

(ii) Sub-section- (2) shall be substituted by the following, namely-

"(2) If any question arises as to whether a Member of a Municipality at any level was disqualified before election or has incurred disqualification after election as provided in Article-243-V of the Constitution of India and subject to any of the disqualification mentioned in section -475 or the subject to any of the disqualification mentioned in sub-section (1) of section-18 the question shall be referred for the decision of State Election Commissioner. The matter of disqualification may be brought to the notice of the State Election Commission in the form of a complaint, application or information by any person or authority. The State Election Commission may also take suo-motu cognizance of such matters and decide such matters expeditiously after allowing sufficient opportunity to the affected parties of being heard."

8. **Amendment of Section-23 of the Bihar Act 11, 2007-**In section-23 said Act the following amendments shall be made, namely-

(i) In sub-section (1)- the words "elect in accordance with such procedure as may be prescribed" shall be substituted by the words "under supervision, direction and control of the State Election Commission, elect".

(ii) Sub-section (2) shall be substituted as follows, namely-

"(2) If the Councillors fail to elect a Chief Councillor under Sub-section (1), the State Government shall suspend the Board of Councillors and appoint an Administrator. The Board of Councillors shall remain suspended till such time the Councillors elect the Chief Councillor or till the tenure of the municipal Councilors is over, whichever is earlier".

"(iii) In Sub-section (3) after the words "chief councillor", the words " or, deputy chief councillor" shall be added,

(iv) In Sub-section (3) after the words "fill up the vacancy" the words "and the Chief Councillor or the Deputy Chief Councillor so elected shall continue in office for the unexpired term of his predecessor" shall be inserted.

(v) After Sub-section (3) the following new subsection-(4) shall be added, namely-

"(4) If any casual vacancy occurs in the office of the Member of the Empowered Standing Committee, the Chief Councillor shall as soon as may, after the occurrence of such vacancy, nominate one of the elected members of the Municipality to fill the vacancy and every Councillor so nominated shall continue in office for the unexpired term of his predecessor."

9. **Amendment of Section-25 of the Bihar Act 11, 2007**-In the said Act in section-25 the following amendments shall be made, namely-

(i) In sub-section-(5) the words "divisional commissioner" wherever occur in section 25 of the said Act shall be substituted by the word "Government" and the words" having territorial jurisdiction over the municipality" shall be deleted.

(ii) The following proviso shall be added after section-25 (5) of the Act as under:-

"Provided that after appointment of Lok Prahari, under section-44, the Government, may pass order under this sub-section only on the basis of recommendation of such Lok Prahari."

(iii) In sub-section-(6) the last line " appeal shall lie before the State Government against the order of divisional commissioner, shall be deleted-

10. **Amendment of Section 27 of the Bihar Act 11, 2007**- In the said Act section 27 shall be substituted by the following, namely-

"27. The term of office of the chief councillor and the members of Empowered Standing Committee:- (1) Members of the Empowered Standing Committee as provided for in subsection (2) of section 21 of this Act and other members nominated by the Chief Councillor under subsection (3) of section 21 of this Act shall hold office until-

(*a*) he ceases to be a Councillor, or

(*b*) he resigns his office by writing under his hand addressed to the Chairman in which case the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Chairman, or

(*c*) he is removed from office by a written order of the Chairman, or provided that no member of empowered State Committee shall be removed from his post within two yeas of his nomination.

(*d*) a newly elected Chief Councillor under sub-section (3) of section 23 enters upon his office in the case of any casual vacancy in the office of the Chairman of the Empowered Standing Committee caused by death, resignation, removal or otherwise.

(2) The newly elected Chief Councillor under sub-section (3) of section 23 of this Act shall reconstitute the Empowered Standing Committee by nominating Members under sub-section (3) of Section 21.

11. **Addition of new section 27 A in the Bihar Act 11, 2007**-In the said Act after 27 the following new sections shall be added, namely-

"27 A- Powers and functions of the Chief Councillor- (1) The Chief Councillor shall head the Empowered Standing Committee and all the executive powers of the Municipality shall vest in the Empowered Standing Committee. The municipal administration shall function under its supervision and control and the Chief Councillor shall exercise such powers and functions as are delegated to him by the Empowered Standing Committee and conferred on him by or under this Act.

(2) The Chief Councillor shall preside over the meetings of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors

(3) Determine the matters to be discussed at a meeting of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors and circulate to the members of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors, as the case may be, in such manner as the Chief Councillor may determine.

(4) The Chief Councillor shall, if he is of the opinion that in exceptional circumstance, immediate execution of any work is necessary and the same ordinarily requires the approval of the Board of Councillors or the Empowered Standing Committee, as the case may be, may direct the execution of such work.

Provided that the Chief Councillor shall report forthwith but not later than fifteen days, to the Board of Councillors or the Empowered Standing Committee, as the case may be, the actions taken under this Section and the reasons there of.

27 B Power and function of Chief Municipal Officer- (1) The Chief Municipal Officer shall be the Principal Executive Officer of the Municipality and all officers and other employees of the Municipality shall be subordinate to

him. Powers of transfers & posting & disciplinary action against all officers and staff appointed by him under Sec.38 of this Act shall vest in the Chief Municipal Officer.

(2) Subject to the supervision and control of the Empowered Standing Committee, and the provisions of this Act and of any Rules and Bye-laws made there under, executive functions for carrying on the administration of the municipality shall vest in the Chief Municipal Officer.

(3) He shall be present at the meeting of the Board of Councillors, Empowered Standing Committee or of any committee except meetings convened for the purpose of considering the question of withdrawal of his service by the State Government and he shall have the right to make a statement or to explain facts, but he shall not vote for or against or make any proposition at such meeting.

(4) Power, functions and duties delegated by the Municipality, the Empowered Standing Committee and under the provisions of this Act to the Chief Municipal Officer shall be exercised, discharged and performed by the Chief Municipal Officer.

(5) Subject to provisions of this Act and Rules made under this Act, the Chief Municipal Officer may delegate any of his powers, duties and functions under this Act and any Rules and Bye-laws made there under to any officer subordinate to him.

(6) The Chief Municipal Officer shall carry into effect every resolution of the Empowered Standing Committee or the Board of Councillor or of any Committee of the Municipality which is in conformity with provisions of law unless such resolution is set aside or suspended under this Act by the appropriate authority.

(7) In the case of absence of the Chief Municipal Officer for any reason, the powers of the Chief Municipal officer as specified in the foregoing provisions of this section or elsewhere in this Act or the Rules made under this Act, shall be exercised by any officer of the Municipality as may be nominated by the Chief Councillor in this behalf till such time State Govt. makes a substitute arrangement."

12. **Amendment of 30 of Bihar Act 11, 2007.-** In the said Act in the sub-section-6 of section-30 the number "369" shall be substituted by the number 342.

13. **Amendment of Section 31 of Bihar Act 11, 2007**.- In the said Act the section-31 shall be substituted by the following:-

"31: **Ward Committee and Area Sabhas**:-(1) Each Ward of a Municipality shall have a Ward Committee and such number of Area Sabha as may be determined by the State Government;

(2) Composition and functions of Ward Committee and Area Sabha will be as prescribed by the Government under the Rules.

Provided that, based on population and other relevant considerations, the Government may restrict the creation of Area Sabha in any classification of Municipal area as provided for under Section 7 of this Act."

14. **Amendment of Section-32 of the Bihar Act 11, 2007**.-In the said Act in section-32 the following amendments shall be made, namely-

(i) In clause (c) of sub-section (1) shall be substituted by the following, namely-

"(c) slum up-gradation & basic services for urban poor"

(ii) In Sub-Section (4) after the words “The manner of the constitution”, shall be substituted by the words “reservation of women on the subjects committee.

(iii) After Sub-section (4) the following new subsection (4a) shall be added, namely-

“(4a) After the first meeting within one months after general election, the Board of Councillors shall elect from amongst its members, Subject Committees referred to in Sub-section (1).”

“Provided that no Councillor shall be elected for more than two such Committees.”

(iv) Sub-section (6) shall be substituted as follows, namely-

“(6) Every Subject Committee shall elect one of its Members to be its Chairman.

Provided that no member shall at the same time be the Chairman of more than one Subject Committee;

Provided further that no Member will be elected for more than two consecutive terms as Chairman of any Subject Committee:”

15. **Amendment of Section 36 of Bihar Act 11, 2007**- In said Act in section-36 the following amendments shall be made, namely-

(a) In sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section-(1) after the words Finance Service the words “or a member of Bihar Account Service” shall be added.

(b) After sub-clause (vi) in clause (b) of sub-section-(1) a new sub clause (vii) shall be inserted, namely-

(vii) **The Municipal Internal Auditor**

(c) In sub-section-9 the word “Sixty” shall be substituted by the word “Sixty-five”

16. **Amendment of Section-38 in the English version of the of the Bihar Act 11, 2007-** In the English version of section 38 of the said Act amendment shall be made as follows-

(i) In clause (a) after the letter "A" the words and letter "and B" shall be inserted and the words "the Chief Municipal Officer" shall be replaced by the word 'the Government'.

(ii) Clause (b) shall be deleted.

(iii) Clause (c) shall be renumbered as clause (b)

17. **Amendment of Section 41of the Bihar Act 11, 2007-** In section-41 in said Act one more proviso shall be added, namely-

“Provided further that resolution regarding withdrawal of the officer shall not be taken within one year of the posting of the officer.”

18. **Amendment of Section 44 in the Bihar Act 11, 2007**- In the said Act section 44 shall be substituted, namely-

“44 Lok Prahari-(1) The State Govt. Shall appoint such number of Lok Prahari as the government may determine from time to time to inquire into any allegation of corruption, misconduct, lack of integrity, or any kind of malpractice or maladministration or misdemeanour of Chief Councillor/ Deputy Chief Councillor/ Officers and other employees of the Municipality, contained in a complaint in the form of an affidavit or on a reference from Government, or that has come to the notice of the Lok Prahari and pass order as soon as possible but not later than three months

(2) The qualification, terms and conditions and tenure of appointment and the powers and duties of the Lok Prahari shall be as may be prescribed by the Government.

(3) The State Government shall, by notification, entrust the responsibilities to the Lok Prahari, for conducting such inquiry or taking any other suitable action in the manner as may be prescribed under the Rules by the Government."

19. **Amendment of Section 45 of Bihar Act, 11, 2007**- In section-45 in said Act in sub clause (iv) of clause (a) of subsection -(1) after the words "social justice" the words shall be added " slum up-gradation and provision of basic service to the urban poor " shall be added.

20. **Amendment of Section 48 of the Bihar Act 11, 2007**- In the English version of the said Act subsection (2) of section 48 the following amendments shall be made, namely-

(i) The words "one fifth" shall be substituted by number and letter "2/5th".

(ii) After the word municipality the words "within fifteen days" shall be inserted.

21. Amendment of Section 50 of the Bihar Act 11, 2007- In the said Act in section-50 the following amendment shall be made, namely-

(i) In subsection-(1) the words "one-fifth" shall be substituted by the words "one-third"

(*ii*) In subsection-(3) after the words, brackets and number "subsection-(2) the words "The presiding authority shall fix date, time and place for the same as he shall think convenient which shall not be earlier than three days from the date of adjournment.

A notice of adjournment exhibited in the municipal office on the day on which the meeting is adjourned shall be sufficient notice of the subsequent meeting." shall be inserted

22. **Amendment of Section 51 of the Bihar Act 11, 2007**- In section-51 the following shall be made, namely-

(i) In sub-setion-(1) after the words "the meeting" the words "and if both the chief Councillor and Deputy Chief Councillor are absent form the meeting, the members present shall choose one of their members to preside; shall be inserted.

(ii) In subsection-(1) after the proviso a new proviso shall be added as follows, namely-

"Provided further that if the meeting is convened for the removal of both Chief Councillor and Deputy Chief Councillor, the members present shall choose one of the members to preside."

23. **Amendment of Section 73 of the Bihar Act 11, 2007**- In the said in sub-section (2) of section-73 the words "slum services" shall be substituted by the words " slum up gradation & basic services for urban poor"

24. **Amendment of Section 82 of the Bihar Act 11, 2007**- In the said Act after subsection- (7) of section-82 a new subsection (8) shall be added, namely-

"(8)Budget estimate shall be prepared, presented and adopted in such Form and in such manner, as may be prescribed,"

25. **Substitution of section-87 of the Bihar Act, 11, 2007**- In said Act section-87 shall be substituted as follows, namely-

" 87**. Preparation of accounting manual.-** The State Government shall prepare, update and maintain, a Manual to be called the "Bihar Municipal Accounting Manual" for implementation of accrual based double entry accounting system containing details of all financial & accounting matters and procedures relating thereto in respect of the Municipalities."

26. **Amendment of Section 88 of the Bihar Act 11, 2007-** In said Act sub-section-(1) section-88 shall be substituted as follows, namely-

"(1) The Chief Municipal Officer shall, within four months of the close of a year, cause to prepare financial statements consisting of a Funds Flow Statement, an Income and Expenditure Account, receipt and expenditure Account and a Balance Sheet for the preceding year in respect of accounts of the Municipality."

27. **Amendment of Section 91of the Bihar Act 11, 2007**- In said Act in section- 91 the following amendment shall be made, namely-

(*i*) Sub-section-(2) shall be substituted as follows, namely-

" (2) An Annual Report prepared by the Examiner of Local Accounts, Patna shall be laid on the both Houses of State Legislature."

(*ii*) In sub-section-(3) the letters "CAG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".

(*iii*) In sub-section-(6) the letters "CAG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".

28. **Amendment of Section 92 of the Bihar Act, 11, 2007**- In said Act in sub-section-(1) of section- 92 the letters "C&AG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".

29. **Amendment of Section 93 of the Bihar Act, 11, 2007**- In said Act in sub-section-(1) of section- 93 the letters "C&AG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".

30. **Amendment in Section 94 of the Bihar Act, 11, 2007**- In the said Act in section-94 the words "C & AG" wherever occurs shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".

31. **Amendment of Section 98 of the Bihar Act 11, 2007**- In sub-section-(6) of section-98 after clause (c) a new clause (cc) shall be inserted as follows, namely-

(*cc*) "To review and approve the Action Taken Report (ATR) following each report by the Auditor under Section 90 and the Internal Audit under section-97.

32. **Amendment of Section 127 of the Bihar Act 11, 2007**- In said Act in section-127 the following amendments shall be made, namely-

(i) In clause (a) in subsection-(1) after the words "Buildings" the words "including vacant Land" shall be inserted.

(ii) In subsection (1) clause (l) shall be substituted as follows, namely-

"(l) Communication towers and related structures/ Disc antennas."

(iii) In first proviso to sub-section (3) after the words "provided that" the words "every person liable to pay Property Tax on lands and buildings shall within 30 days of acquiring land or building or both, intimate the Municipality of such acquisition of property for assessment of Property Tax. Failure to give such information shall make him liable to assessment from the date of acquisition of property together with penalty in the range of 25 percent to 100 percent of the arrears becoming due on account of suppression of information as may be prescribed under Rules by the State Government shall be inserted."

(iv) In second proviso in sub-section-(3) the words "any discrepancy or under assessment" shall be substituted by the words "any willful suppression of material information essential for assessment of Property Tax"

(v) In sub-section (4) a new clause (ii) shall be inserted as follows, namely-

(ii) For the purpose of determining whether a holding is situated on Principal Main Road, on the Main Road or on any other Road, road facing the main entrance of each holding shall be the deciding factor. In case where the properties are located on more than one road, Principal Main Road shall prevail over the Main Road and the Main Road shall prevail over other Road."

(vi) In sub clause (ii) of clause (c) of sub-section (4) after the words “corrugated sheet” the oblique/and words”/stone or any other permanent material” shall be inserted.

(vii) After clause (c) of sub-section (4) (1) the new clause (d) and (e) shall be inserted as follows, namely-

"(d) Type of Occupancy:-

(*i*) Self-occupied;

(ii) Tenant Occupied

(*e*) Type of non-residential use of Holdings

(*i*) Hotels, restaurants, clubs, cinema houses, Guest Houses, Marriage Halls and all places of entertainment;

(*ii*) Shops, show rooms;

(*iii*) Commercial offices, banks, hospitals and nursing homes, dispensaries, laboratories,

(*iv*) Government Offices and institutions

(*v*) Industries, workshops;

(*vi*) Schools, colleges and other educational institutions, research institutions;

(*vii*) Educational and social institutions run by charitable trust on no-profit no-loss basis for the benefit of poor, physically challenged, social security of women and children;

(*viii*) Religious places, and

(*ix*) Any other holdings not covered under (i) to (viii)."

(*viii*) In sub-section (6) a Proviso shall be inserted as follows, namely-

“Provided that in cases where the property is found locked, or is not accessible for the measurement of carpet areas for any reason whatsoever, the Municipality shall take into consideration 75 percent of the plinth area of the property as carpet area for the purposes of assessment of Property Tax until the property becomes accessible in subsequent year.”

(ix) In clause (i) of Sub-section (7) the words “and the type of construction of holdings” shall be substituted by the words type of construction, occupancy of the holdings and type of non-residential use of holdings.”

(x) After clause (iv) in Sub-section (8) of a new clause (v) shall be inserted as follows, namely-

“(v). Property Tax on vacant land shall be levied annually within minimum and maximum of Re. one and Rs. 5 respectively per square meter of vacant land depending on the situation of land falling in the criteria given in Section-127(4)(1)(a). The rates to be levied shall be determined from time to time under the under Rules to be framed by the State Government”

33. Amendment of Section-128 of Bihar Municipal Act, 11, 2007- In the said Act in section-128, after the words “The Municipality shall” the words and figure “besides levy of Property Tax under Section- 127,” shall be inserted:-

34. Substitution of section-130 of the Bihar Act 11, 2007- In the said Act section-130 shall be substituted as follows, namely-

"130 Levy of surcharge on tax or fee.- Subject to the approval of the State Government, the Municipality may levy a surcharge at the rate of 2.5 percent on a tax a user charge or fee or fines or on electricity consumption within the municipal area."

35. Addition of new sections in the Bihar Act 11, 2007- In said Act after section-138 the following new sections shall be added, namely-

"138 A. State Property Tax Board- State Government shall put in place a state level Property Tax Board, which may assist all municipalities in the state to put in place an independent and transparent procedure for assessing property tax.

138 B. Chairman and Members of the State Property Tax Board- Qualification and disqualification of the Chairman and the members of the Property Tax Board, their appointment and functions shall be in such manners as may be prescribed."

36. Amendment of Section-317 of the Bihar Act 11, 2007- In the Hindi text of the said Act in section 317 after the word "पारित" the word "नहीं" shall be inserted.

37. Amendment of Section-322 of the Bihar Act 11, 2007- In the Hindi text of the of the said Act in sub-section (2) of section-322 the words "सौ" shall be substituted by the word "हजार".

38. Amendment of Section-416 of the Bihar Act 11, 2007- In the Hindi text of the said Act in proviso to section-416 the word "नहीं" shall be inserted after the word "हेतु".

39. Amendment of Section-428 of the Bihar Act 11, 2007- In section-428 of the Hindi text of the Act the word "पदाधिकारी" shall be substituted by the word "प्राधिकारी".

40. Amendment of Section-441 of the Bihar Act 11, 2007- (1) In section-441 of the said Act the following amendments shall be made as follows, namely: -

(i) The word "Governor" shall be substituted by words "State Government"

(ii) After the proviso to the section-441 the following new proviso shall be added, namely-

"Provided also that no such notification shall be required to be issued to hold elections, against such posts, which after general election have subsequently become vacant due to resignation, death, removal from post, judicial order or some other reason. The State Election Commission, as per its convenience, after consultation with the concerned District Magistrate and intimation to the Government, shall be free to take action to hold election against such posts as sooner as may be."

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 241-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 माघ 1933 (श0)

(सं0 पटना 32)   पटना, सोमवार, 23 जनवरी 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

23 जनवरी 2012

सं० एल0जी0-1-30/2011/लेज-259—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 जनवरी 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 2, 2012]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. **धारा–2 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–2 में उप–धारा–(110) के बाद निम्नलिखित नई उप–धारा (111) जोड़ी जायेगी, यथा–

"(111)" उपभोक्ता प्रभार'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–128 के अधीन नगरपालिका द्वारा उद्‌गृहीत प्रभार। उपभोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रभार शब्दों का उपयोग अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों में अंतर्परिवर्तनीय रूप में किया जायेगा और उनका अर्थ एक ही होगा।''

3. **धारा–36 का संशोधन।**– (1) उक्त अधिनियम की धारा–36 की उप–धारा (1) के खंड (क) के उप–खंड (i) में शब्द ''बिहार प्रशासनिक सेवा'' के बाद शब्द ''गैर–सरकारी अधिकारी, प्रबंधक, प्रशासक या अभियंता जिन्हे शहरी कार्यक्षेत्र प्रबंधन में अनुभव/विशेषज्ञता प्राप्त हो'' जोड़े जायंगे।

(2) उक्त अधिनियम की धारा–36 की उप–धारा (1) के खंड (क) के उप–खंड (ii) में शब्द ''या बिहार लेखा सेवा के सदस्य'' के बाद शब्द ''या चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 के अधीन चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट या लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अधीन लागत और प्रबंधन लेखापाल'' जोड़े जायेंगे।

(3) उक्त अधिनियम की धारा–36 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खंड (vi) के बाद निम्नांकित परन्तुक द्वितीय परन्तुक के बाद जोड़ा जायेगाः–

''परन्तु और कि सरकार नगर परिषद/नगर पंचायत में भी नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर गैर–सरकारी व्यक्ति को जिन्हें शहरी कार्यक्षेत्र/प्रबंधन में अनुभव/और प्रशासन में अर्हता प्राप्त प्रबंधक/प्रशासक/अभियंता हो सकते हैं, को नियुक्त कर सकेगी।

(4) उक्त अधिनियम की धारा–36 की उप–धारा (1) खण्ड (ख) के उप–खंड (vi) के बाद निम्नांकित परन्तुक तीसरे परन्तुक के बाद जोड़ा जायेगाः–

'' परन्तु और भी कि राज्य सरकार नगर निकायों को, आदेश देकर, पदों की संख्या घटा, बढ़ा, पदों की संरचना में परिवर्त्तन, पद या पदों के समापन, नये संवर्गो के सृजन एवं समापन, नये संवर्गों की स्थापना या पुनर्गठन कर सकेगी या इससे संबंधित अन्य निदेश दे सकेगी जो शहरी स्थानीय निकायों पर बाध्यकारी होगा।

4. **धारा–69 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–69 (2) के खंड (ख) के उप–खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''(i) सम्बन्धित नगरपालिका पर क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र रखने वाले प्रमंडलीय आयुक्त, समिति के अध्यक्ष होगें।''

5. **धारा–71 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–71 में शब्द ''अन्य उपायों का निर्धारण करेगी'' के बाद शब्द ''और निर्धारण के तीन माह के भीतर नगरपालिका को संसूचित करेगी'' जोड़े जाएंगे।

6. **धारा–127 का संशोधन।**– (1) धारा–127 की उप–धारा (1) के खंड (ठ), उप–खंड (ii) में शब्द किसी ''सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाने वाला'' के बाद शब्द 'अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाई जानेवाली नियमावली के अधीन यथा उपबंधित'' जोड़े जाएंगे।

(2) धृति जिस सड़क पर अवस्थित हो उसका प्रकार अवधारित करने से संबंधित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 की उप–धारा (4), खंड (ii) को (ii) नहीं बल्कि उप–धारा ''(2)'' पढ़ा जायेगा।

(3) उक्त अधिनियम, के अंग्रेजी पाठ में धारा 127 की उपधारा (7) के खंड (ii) में शब्द "Commuted" शब्द "Calculated" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(4) उक्त अधिनियम, की धारा–127 की उप–धारा (10), उप–धारा (12) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जायेगी और नई उप–धाराएँ (10) और (11) निम्नवत् जोड़ी जायेंगी, यथाः–

''(10) किराए पर दी गई संपत्तियों और इस अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (4) के खंड (1) के उप–खंड (घ) और (ङ) में उल्लिखित धृतियों में गैर आवासीय धृतियों के कतिपय कोटियों के लिए राज्य सरकार वार्षिक भाटक मूल्य की गणना हेतु विशेष पद्धति उपबंधित कर सकेगी।''

''(11) (i) धृतियों/भवनों के उन भागों का, जो आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थान, केन्द्र एवं संस्था हैं, किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप, कार्यालय भवन, रेस्तराँ, दूकान या आवासीय सुविधा के लिए चाहे

निशुल्क या शुल्क सहित या दान के रूप में प्रभार लेकर उपयोग किया जाता है, जिस कोटि के हों, उस कोटि के अनुसार सम्पत्ति कर प्रभारित किया जायगा।

(ii) मलिन बस्तियों में अवस्थित 250 वर्गफीट से कम के कुर्सी क्षेत्र वाली झोपड़ियाँ या आवासीय घर संपत्ति कर के भुगतान से मुक्त होंगे।''

(5) बिहार नगरपालिका अधिनियम, की धारा–127 में निम्नलिखित एक नई उप–धारा (13) जोड़ी जाएगी, यथाः–

''(13) (i) नगरपालिका हर पांच वर्ष में एक बार धारा–7 (i) के अधीन धृतियों के भाटक मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से धृतियों के सभी स्वामियों और निर्धारितियों को ऐसे पुनरीक्षण के कारण निर्धारण की पद्वति में परिवर्तन से अवगत कराएगी।

(ii) नगरपालिका हर पांच वर्ष में एक बार उन सड़कों का पुनर्वर्गीकरण भी करेगी जिन पर धृतियाँ अवस्थित हों और धृति का भाटक मूल्य अवधारित करने में उसका ध्यान रखेगी।''

(6) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अंग्रेजी पाठ की उप–धारा (7) (ii) में शब्द'' sub-rule (1) को Clause (i) द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. **एक नयी धारा–128 क का जोड़ा जाना।–''128 क. नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड की स्थापना।**– (1) नगरपालिका द्वारा उपयोगकर्त्ता प्रभारों के उद्ग्रहण पर सलाह देने के लिए राज्य सरकार नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड स्थापित कर सकेगी।

(2) बोर्ड की संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हता और बोर्ड द्वारा संपादित किए जाने वाले कृत्यों का अवधारण राज्य सरकार द्वारा आदेशों के अधीन किया जाएगा।

(3) ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें वर्षा जल संरक्षण (Rain Water Harvesting) तकनीक और संरचना अपनायी गयी हो, उसे राज्य सरकार के आदेश द्वारा विहित रीति से कुल सम्पत्ति कर में अवधारित प्रतिशत तक राहत दी जा सकेगी।''

8. **धारा–138 का संशोधन।**–उक्त अधिनियम, की धारा–138 की उप–धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नयी उप–धारा–(3) जोड़ी जाएगी, यथाः–

''(3) यदि दो या दो से अधिक वैसी धृतियों के मालिक, जो एक–दूसरे से लगी हुई हों, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष, स्वयं या किसी प्रवर्तक/विकासकर्ता के माध्यम से, अपनी धृतियों को आमेलित कर अपार्टमेंट बनाना चाहते हों, तो वह पदाधिकारी सम्यक जांचोपरान्त अनुमति दे सकेगा और जिन व्यक्तियों की धृतियाँ आमेलित की गयी हों, वह संयुक्त रूप से भू–स्वामी समझे जायेंगे ;

परन्तु आमेलन की अनुमति मिल जाने तथा प्रवर्तक/विकासकर्ता एवं भू–स्वामियों में अपार्टमेंट निर्माण से संबंधित समझौता हो जाने के पश्चात् किसी भी दशा में धृतियों को फिर से अलग–अलग करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी।''

9. **धारा–155 का संशोधन।**– (1) उक्त अधिनियम, 2007 के अध्याय xix के शीर्षक ''करों'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।

(2) अध्याय xix में उप शीर्षक ''क'' शब्द ''नगरपालिका द्वारा करों'' के बाद'' शब्द ''और सेवा/उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।

(3) उक्त अधिनियम, की धारा–155 में शब्द ''करों'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।

(4) धारा–155 में शब्द ''किसी कर'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।

(5) उक्त अधिनियम, की धारा–155 के अंग्रेजी पाठ के खंड (c) में शब्द ''distrait" शब्द "seizure" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) धारा–155 में खंड (छ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ज) जोड़ा जाएगा, यथाः–

'' (ज) धृति के स्वामी या निर्धारिती को दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति कर का स्व–निर्धारण कर उसे नियमों एवं विनियमों में विहित तिथि एवं रीति से भुगतान करने का निदेश देकर'';

(7) धारा–155 के खंड (ख) में शब्द ''मांग–पत्र तामील कर'' के बाद शब्द

''30 जून तक देय कर का भुगतान करने में धृति के स्वामी या निर्धारिती के विफल रहने पर'' जोड़े जायंगे।

(8) धारा–155 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ख ख) जोड़ा जायेगा, यथाः–

'' (ख ख) व्यतिक्रमी को सात दिनों की नोटिस देने के बाद नगरपालिका सेवाएँ, यथा जलापूर्ति, मलवहन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रोककर, या

10. **धारा–156 का संशोधन।**– (1) उक्त अधिनियम की धारा–156 के उप–शीर्षक में शब्द ''करों'' के बाद शब्द ''और गैर कर राजस्व'' जोड़े जायंगे।

(2) धारा–156 की उप–धारा (1) में शब्द ''कोई कर'' के बाद शब्द ''और ''उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।

(3) धारा–156 की उप–धारा (2) में शब्द ''किसी बकाये रकम'' के पहले शब्द ''कर के'' जोड़े जायेंगे।

(4) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–156 की उप–धारा (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे :–

''(2) तिथि, जिस तिथि को कर एवं उपयोगकर्त्ता प्रभार देय हो के भुगतान की तिथि और रीति, जब और जिस रीति से उनका भुगतान किया जायगा तथा उनपर छूट एवं शास्ति की राशि नियमावली के अधीन विहित की जायगी।''

11. **धारा–157 का संशोधन।**–(i) उक्त अधिनियम, की धारा–157 की उप–धारा (1) में निम्नलिखित नया खंड (घ) जोड़ा जायेगा–

''(घ) स्वनिर्धारण के आधार पर भुगतान किया गया कर''

(ii) उक्त अधिनियम, की धारा–157 में शब्द ''जब कोई कर'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।

(iii) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–157 के परन्तुक में शब्द ''कर की वसूली'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।

12. **धारा–158 का संशोधन।**– (1) उक्त अधिनियम, की धारा 158 में शब्द ''कर के भुगतान और वसूली से संबंधित विनियमों'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।

(2) धारा–158 में शब्द ''अपने बकाये कर के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।

(3) उक्त अधिनियम, की धारा–158 के खंड (ख) में शब्द ''बकाये कर'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।

(4) उक्त अधिनियम की धारा–158 के खंड (ग) में शब्द ''बकाये कर की वसूली'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।

(5) उक्त अधिनियम, की धारा–158 के खंड (च) में शब्द ''कर की वसूली'' के बाद शब्द ''और सेवा/उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।

13. **एक नई धारा–274 क का जोड़ा जाना।**–''274 क– जिला योजना समिति और महानगरीय समिति धारा 274 में यथा उपबंधित विकास योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार उपान्तरण के साथ या उसके बिना योजना को यथाशीघ्र, किन्तु उसके प्रस्तुत किए जाने के 12 माह के बाद योजना का अनुमोदन नही करेगी।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

23 जनवरी 2012

सं० एल0जी0-1-30/2011/260/लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2012 को अनुमत बिहार नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 2, 2012]

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011

AN

ACT

to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 2.- In Section 2 of the said Act After sub-section (110) the following new sub-section (111) shall be add namely-

"(111) "user charges" means charges levied by the municipality under section 128 of the Act. The words 'user charges' 'service charges' shall be used interchangeably in the Act and Rules and Regulations made thereunder and shall mean the same."

3. Amendment of section 36.- (1) In sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section-36 of the said Act the words "or non Government officers, Managers, Administrators or Engineers who have experience/specialization in urban sector management" shall be added after the words "Bihar Administrative Service."

(2) In sub-clause (ii) of Clause (a) of sub-Section (1) of Section 36 of the said Act, after the words "or a member of Bihar Account Service", the words " or a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949, or a Cost and Management Accountant under the Cost and Works Accountants Act, 1959." shall be added.

(3) After sub clause (vi) of clause (b) of sub-section (1) of section 36 the following proviso shall be added after the second proviso:-

"Provided further that the Government may appoint a Non Government person who has experience/specialization in urban sector management and administration who can be a qualified Manager/Administrator/Engineer on the post of Municipal Executive Officer even in Municipal council and Nagar Panchayat.

(4) After sub clause (vi) of clause (b) of sub-section (1) of section-36 the following proviso shall be added after the third proviso,

"Provided also that the Government may by order to the Municipalities subtract, add, change the number and structure of posts, abolish a post or posts, determine and abolish cadres, create new cadres, restructure their administrative structure and establishment or can give any other direction in this regard which shall be binding on the Urban Local Bodies."

4. Amendment of section 69.- Sub-clause (i) of section-69 (2) (b) of the said Act shall be substituted by the following:-

(i) "The Divisional Commissioner of the Division having territorial jurisdiction over the concerned Municipality, shall be the chairperson of the Committee."

5. Amendment of Section 71.- In Section 71 of the said Act, after the words "the State Government shall determine" the words "and communicate to the Municipality within three months of determination". shall be added.

6. Amendment of Section 127.- (1) In sub-clause (ii) of Clause (k) of sub-Section 1 of Section 127, after the words "plying on a public street" the words "or as may be provided for under orders by the State Government" shall be added

(2) Clause (ii) of sub-Section (4) of Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 regarding determining the type of a road on which a holding is located, shall be read as sub-Section "(2)", rather than (ii)

(3) In Clause (ii) of sub-Section (7) of Section 127 in the English version of the Bihar Municipal Act, 2007, the word "commuted" shall be replaced by the word 'calculated'.

(4) Sub-Section (10) of Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be renumbered as (12) and new sub-Sections (10) and (11) shall be added as under:-

" (10) The State Government may provide differential methods for calculation of the annual rental value of tenanted properties and certain categories of non-

residential holdings from among those mentioned in clause (d) and (e) of Sub-section (4)(1) of Section 127 of this Act."

"(11) (i) Those portions of the holdings/buildings which are places, centres and institutions of spiritual and religious nature are used for commercial purposes, office buildings, boarding and/or lodging facilities whether free of charge or where fee or donation is charged, shall be charged property tax, as per the category to which they belong.

(ii) All hutments or dwelling units situated in slums having a total plinth area of less than 250 square feet shall be exempt from payment of Property Tax. "

(5) The following new Sub-Section (13) shall be added in Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 as under:-

"(13)(i) The Municipality shall carry out upward revision of rental value of holdings under section 7(i) once in every five years and through a public notice, inform all owners of holdings and assesses about the change in the method of assessment on account of such revision.

(ii) The Municipality shall also reclassify the roads on which holdings are situated once in every five years and take it into consideration for determining the rental value of holdings."

(6) In English version of Bihar Municipal Act, 2007, in Sub-Section 7(ii) the words "sub rule (1)" shall be replaced by "clause (i)"

7. Addition of a new section 128A.- "128A" Establishment of an Urban Services Charge Advisory Board. (1) The State Government may establish an Urban Services Charges Advisory Board to advise the levying of User Charges by the Municipality.

(2) Composition of the Board, qualification of Chairpersons and members and functions to be performed by the Board shall be determined by the State Government under orders

(3) Any property that has adopted the technique and structure of rainwater harvesting may be given relief to a determined percentage from the property tax in the manner prescribed by the State Government by order".

8. Amendment of Section 138.- The Following new Sub-Section (3) shall be added after Sub-Section (2) of Section 138, namely-

"(3) If two or more owners of separate but adjoining holdings apply jointly or through a promoter/developer to the Chief Municipal Officer for amalgamation of their holdings for construction of Apartment, such permission, on due enquiry, can be permitted and the persons whose holdings get amalgamated shall be jointly treated as landowners,

Provided once amalgamation is allowed and takes place and agreement with promoter/developer has been signed for construction of an apartment deamalgamation will not be permitted in any case.

9. Amendment of Section 155.- (1) In the caption of Chapter XlX of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words "Recovery of Taxes" following words shall be added, namely-

"and user charges"

(2) In sub-title "*A. Recovery of Taxes by Municipality*" in Chapter XlX after the words " Recovery of Taxes" following shall be added, namely-

"and user charges"

(3) In Section 155, of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words “Manner of recovery of taxes” following words shall be added, namely-

"and user charges"

(4) In Section 155, after the words “ any tax” following words shall be added namely—

”and user charges"

(5) In Clause (c) of Section 155, of the Bihar Municipal Act, 2007 the word “distrait” shall be replaced

by the word “seizure”

(6) In Section 155, The following new Clause (h) shall be added, after clause (g) namely-

" (h)" by directing the owner of the holding or the assessee through advertisement in two local newspapers to do self assessment of property tax and pay the same by such date and in such manner as prescribed under Rules and Regulations".

(7) In Clause (b) at section 155 after the words “by serving a notice of demand,” The words“ on failure of the owner of holding or the assessee to pay the tax due by 30th June of each financial year” shall be added,

(8) After Clause (b) of Section 155, The following new Clause (bb) shall be added, namely,

“(bb) by discontinuing municipal services such as water supply, sewerage, and solid waste management after giving seven day’s Notice to the defaulter”

10. Amendment of Section 156.- (1) In the sub-title of Section-156, the words “and user charges" shall be added after the words 'of taxes'.

(2) In Sub-section (1) of Section 156 of the said Act, the words ”user charges" shall be added after the words 'any tax'.

(3) In sub-section (2) of Section 156 of the Act, after the words “If any amount due” the words “of taxes and user charges" shall be added.

(4) Sub-Section (2) of Section-156 of the Act shall be substituted by the following, namely :-

"(2). The date on which payment of taxes and user charges are due, the date and manner in which they shall be paid and the amount of rebate or penalty thereon shall be prescribed under Rules."

11. Amendment of Section 157.-

(i) In sub-Section (1) of Section 157 of the Bihar Municipal Act, 2007, a new clause (d) shall be added as namely,

“(d). Property Tax to be paid on the basis of self-assessment as per Section 155(A) of the Act.”

(ii) In Section 157 of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words “when any tax”, new words shall be added, namely-

“and user charges"

(iii)In proviso of Section 157 of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words “of recovery of any tax” the following words shall be added, namely-

“and user charges"

12. Amendment of Section 158.- (1) In Section 158 of the said Act, after the words “Regulations regarding payment and recovery of tax” the words ”and user charges" shall be added,

(2) In Section 158, after the words “To ensure payment and recovery of its tax” following words shall be added, namely-
”and user charges"

(3) In Clause (b) of Section 158 of the said Act, after the words "recovery of tax" the words “and user charges" shall be added.

(4) In Clause (c) of Section 158 at the said Act, after the words “recovery of tax” the words “and user charges" shall be added.

(5) In Clause (f) of Section 158 of the said Act, after the words “recovery of tax”, the words ”and user charges" shall be added.

13. **Addition of a new Section 274A**.- "274A The District Planning Committee and the Metropolitan Committee shall prepare development plan as provided for in section 274 and submit the same to the State Government for approval. The State Government shall approve the plan with or without modification as early as possible, but not later than 12 months from the date of submission”.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 32-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1935 (श0)

(सं0 पटना 73)   पटना, बुधवार, 8 जनवरी 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 जनवरी 2014

सं0 एल0जी0-1-27/2013/लेज: 05—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 27 दिसम्बर, 2013** को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013
(बिहार अधिनियम 2, 2014)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा–2 (11) का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–2 की उप–धारा (11) के बाद एक नयी उप–धारा (11क) जोड़ी जायेगी, यथा –

   ''(11क) सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत है किसी परिसर में दिवालों के अन्दर, दिवाल की मोटाई एवं प्रत्येक तल पर छज्जा सहित, कारपेट क्षेत्र का व्यवहार में लाया जाने वाला वास्तविक क्षेत्र।''

3. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (31) का संशोधन।**–उक्त अधिनियम की धारा 2 (31) में जहाँ कहीं शब्द ''स्थानीय निकाय के निदेशक'' आया है को ''निदेशक, नगरपालिका प्रशासन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–2 (101) का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की उप–धारा (101) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा –

''कार्यानुपालन प्रतिवेदन'' से अभिप्रेत है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा धारा–94 के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में समर्पित प्रतिवेदन।

5. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–2 (103) का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–2 (103) में शब्द ''गलियों में प्रकाश व्यवस्था'' के बाद शब्द ''आश्रय'' जोड़ा जायेगा।

6. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–19 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–19 में शब्द ''यथा विहित'' के पूर्व शब्द ''राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ''जोड़े जायेंगे।

7. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–25 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–25 की उप–धारा (2) एवं (3) में आये शब्द ''प्रमंडलीय आयुक्त'' को शब्द ''सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–36 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–36 की उप–धारा (4) के बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा –

''धारा 36 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, वांछित योग्यता, सेवाशर्त्त, आचरण, अनुशासन एवं नियंत्रण सहित वही होंगे जो नियमावली के द्वारा निर्धारित किया जाय।

9. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–40 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–40 के बाद एक नयी धारा 40अ जोड़ी जायेगी।

''यथा–

"40अ राज्य सरकार नियमावली बनाकर नगरपालिका सेवा एवं नगरपालिका कार्मिक प्रबंधन के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाशर्त्त, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रोन्नत्ति, अनुशासनिक कार्यवाही एवं अन्य सम्बन्धित विषयों से सम्बन्धित प्रावधान कर सकेगी।"

10. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–45 का संशोधन ।** – उक्त अधिनियम की धारा–45 मेंः–

(i) उप–धारा (1)(क) (iv) की उप–धारा में शब्द ''विकास एवं सामाजिक न्याय'' के पहले शब्द ''आर्थिक'' जोड़ा जायेगा।

(ii) उप–धारा (1)(क) की कंडिका (x) के बाद एक नई कंडिका (XI) जोड़ी जायेगी, यथा –

"(xi) शहरी गरीबी के लिए आधारभूत सेवा तथा शहरी गरीबी उन्मूलन का प्रावधान।"

11. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–46 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–46 में शब्द ''अग्नि शमन एवं अग्नि सुरक्षा के प्रबंध'' के बाद शब्द ''शहरी गरीबी का आर्थिक सशक्तिकरण, जीविका के अवसर का निर्माण'' जोड़े जायेंगे।

12. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–82 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–82 में उप–धारा–(7) के बाद निम्नलिखित उप–धाराएँ जोड़ी जायेंगीः–

"(8) आय–व्ययक प्राक्कलन में न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तीय संसाधनों को शहरी गरीबों के लिये आधारभूत सेवाओं के प्रावधान के लिये कर्णाकिंत किया जायेगा।

(9) बजट प्राक्कलन नगद के आधार पर तैयार किया जायेगा, जो घाटे का नहीं होगा। अर्थात आद्य–शेष जो सभी प्राप्तियों जोड़ने के पश्चात् एवं सभी व्यय घटाने के बाद अन्तशेष शून्य से कम नहीं हो।" तथा :–

विद्यमान उप–धारा (8) को उप–धारा (10) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

13. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–88 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–88 में शब्द ''निधि बहाव विवरण'' को शब्द ''रोकड़ बहाव विवरण'' से तथा शब्द ''प्राप्ति एवं व्यय लेखा'' को शब्द ''प्राप्ति एवं भुगतान'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–91 का संशोधन।** – (i) उक्त अधिनियम की धारा–91 की उप–धारा (2) में शब्द ''स्थानी लेखा परीक्षक'' को अक्षर '' नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०) '' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–धारा (2) के बाद उप–धारा (2क) जोड़ी जायेगी, यथा –

नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नगरपालिकाओं के लेखा के सम्यक् संधारण के लिए तकनीकी मार्ग निर्देश एंव पर्यवेक्षण उपलब्ध करायेगा।

(iii) उप–धारा (3) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उप–धारा (6) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–92 का संशोधन।** – उप–धारा (1) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

16. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–93 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–93 के उप–धारा (1) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–94 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–94 के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–98 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम में

(i) धारा–98 (6) (ग ग) में शब्द एवं अंक "धारा 90" को शब्द एवं अंक "धारा–92" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) धारा–98 (6) (घ) में शब्द एवं अंक "धारा–94" को शब्द एवं अंक "धारा–96" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

19. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–104 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम में –
(1) धारा–104 की कंडिका (क) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
''सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका की किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य तरीके से यथा विहित नियमावली के अनुसार निष्पादित कर सकेगी।''
(2) उक्त अधिनियम की धारा–104 में एक नयी कंडिका (क क) जोड़ी जायेगी :–
(क क) सशक्त स्थायी समिति नियमावली द्वारा यथा निर्धारित रीति से नगरपालिका की किसी अचल सम्पति को भाड़े पर देना, भाड़ा, किराये, आवंटन या लीज पर दे सकेगी या बन्दोबस्त कर सकेगी।

20. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–105 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम में धारा–105 की उप–धारा (1) में प्रारंभिक शब्द ''सशक्त स्थायी समिति' को ''मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

21. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–127(6) का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–127 (6) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–
होल्डिंग की वार्षिक किराये मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित की जायेगीः–

(i) वैयक्तिक आवासीय सम्पति–संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत

(ii) वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति– संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत

(iii) वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट–संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत

(iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट–संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।"

22. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–127(7) (iii) का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (7) (iii) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः–
"संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिये प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष 15 प्रतिशत से अन्यून बढ़ायी जायेगी। नगर निकाय किसी भी समय किराया मूल्य या कर की दरों में इन पॉच वर्षों के अन्दर किसी समय सरकार के अनुमोदन से संशोधन कर सकेगी।"

23. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–127(8) का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (8) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
''(8) नगरपालिका के अन्तर्गत भूमि एवं भवनों पर वार्षिक किराया मूल्य का न्यूनतम 9 प्रतिशत और अधिकतम 15 प्रतिशत धारा–127 की उप–धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पत्ति कर लगाया जायेगा;

परन्तु कोई नगर निकाय धारा–127 के अन्तर्गत निर्धारित कर दर को कम दर पर उद्गृहित नहीं कर सकेगी;

परन्तु यह कि नगरपालिका वर्तमान में लागू कर को धारा–127 की उप–धारा (8) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना घटा नहीं सकेगी;

24. **बिहार अधिनियम, 127(8) (V) का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–127 की उप–धारा (8) (V) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा;
''परन्तु" यह कि भूस्वामी द्वारा जमीन अधिग्रहण के दो वर्षों के अन्दर यह कर नहीं लगाया जायेगा।

25. **बिहार अधिनियम, 128 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–128 के द्वितीय परन्तुक को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा;
''परन्तु यह कि सरकार नगरपालिकाओं को उपभोक्ता प्रभार लगाने का निदेश दे सके यदि यह नहीं लगाया गया है अथवा नगरपालिका द्वारा इसे आस्थगित कर दिया गया।"

26. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–158 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–158 के बाद एक नयी धारा–158 'अ' जोड़ी जायगी।
यथा– ''158 'अ' यदि किसी सम्पत्ति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धारणीय वर्षा जल संग्रहण तकनीक लगाया गया है तो कुल सम्पति कर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

27. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–228 (2) का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–228 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"(2) ऐसा तत्काल जुर्माना स्वच्छता निरीक्षक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा/अथवा नगरपालिका द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा।"

28. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–286 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–286 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा –

''286– गंदी बस्तियों को अधिसूचित अथवा बातिल किया जाना।– नगरपालिका किसी क्षेत्र को, जिसमें निवासी हों और जो धारा–2 (109) में गन्दी बस्ती की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो, को गन्दी बस्ती अधिसूचित करेगी, इसे बातिल करेगी इसकी बाहरी परिसीमाओं को परिभाषित करेगी, इन परिसीमाओं को सरकार द्वारा नियमावली के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर समय–समय पर परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु यह कि किसी गन्दी बस्ती की अधिसूचना को तबतक बातिल नहीं किया जा सकेगा जब तक वहाँ आधारभूत आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो तथा बातिल करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया गया हो;

परन्तु यह और कि किसी क्षेत्र को गन्दी बस्ती अधिसूचित होने पर, न होने पर भी धारा–2 (109) को यथा परिभाषित गन्दी बस्तियों में बुनियादी नगरपालिका सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।

29. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–287 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–287 में (i) शीर्षक को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"गन्दी बस्ती उन्नयन एवं शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं का प्रावधान।"

(ii) धारा–287 में ''ऐसी सुधार योजनाएं तैयार कर सकेगी'' के पूर्व शब्दों ''गन्दी बस्ती के निवासियों के परामर्श से'' जोड़े जायेंगे:–

(iii) धारा–287 में ''गन्दी बस्तियों के सामान्य सुधार शब्दो के बाद निम्नांकित शब्द जोड़े जायेंगे ''गन्दी बस्तियों के निवासियों द्वारा धारित भूमि के धारण की स्थिति से अप्रभावित।''

(iv) जहाँ कहीं आये शब्द "कार्यक्रम" को शब्द "परियोजना" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

30. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–296 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–296 में –

(i) उप–धारा(1) के स्पष्टीकरण को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''इस धारा में ''अनन्य परिसर संख्या'' से अभिप्रेत है अक्षरों एवं अंको से बनी संख्या जो किसी परिसर अथवा उसके भाग को नगरपालिका द्वारा निम्नांकित रीति से नियत किया जाय :–

(क) प्रथम दो अक्षर उस क्षेत्र को इंगित करेगा जिसमें नगर विभाजित हो

(ख) अगला तीन अंक उस क्षेत्र के प्रत्येक प्रक्षेत्र को इंगित करता हो

(ग) अगला चार अंक उस परिसर का संख्या होगा,

(घ) अगला एक अंक यह इंगित करेगा कि वह परिसर विभाजित है अथवा एक से अधिक परिसरों को एकीकृत किया गया है,

(ङ) एक से अधिक परिसर के एकीकरण अथवा बँटवारा के कारण उसके विभाजनकी स्थिति के उस परिसर को एक नयी संख्या नियत की जायेगी और परिसर को नियत नयी संख्या को पंजी में दर्ज किया जायेगा और अभिलेख के लिये रखा जायेगा।

(ii) धारा–296 की उप–धारा (2) के शब्द ''परिसर के सम्बन्ध में'' के पूर्व के शब्द ''किसी वार्ड में'' को विलोपित किया जायेगा।

(iii) धारा–296 की उप–धारा (3) के शब्द ''परिसर के सम्बन्ध में'' के पूर्व के शब्द ''किसी वार्ड में'' को विलोपित किया जायेगा।

(iv) उप–धारा (3) के बाद नई उप–धारा (4) जोड़ी जायेगी।

"(4) अनन्य परिसर संख्या नियत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत योजना का प्रावधान सरकार द्वारा निर्मित होने वाले नियमावली में किया जायेगा। आवश्यक होने पर सरकार उप धारा–(1) में उल्लिखित क्रमिक योजना में परिवर्तन कर सकेगी।"

31. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–314 का संशोधन।** – (1) उक्त अधिनियम की धारा–314 में शब्द ''भवन की योजना स्वीकृत होने पर ही'' के पूर्व के शब्द ''वास्तुकार अधिनियम, 1972 के अधीन निबंधित किसी प्रमाणिक वास्तुकार द्वारा'' को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

''राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमावली या उप–विधि द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार''

(2) धारा–314 का द्वितीय परन्तुक को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा,

परन्तु यह और कि यदि भवन की योजना भवन उप–विधि के उल्लंघन या विचलन की स्थिति में इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, निबंधित वास्तुविद, निर्माता और

अनुमोदन प्राधिकार अभियोजित किये जाने का उत्तरदायी होगा और पचास हजार रूपये का दंड अथवा कारावास जो एक वर्ष की अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी अथवा दोनों का भागी होगा।

32. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–315 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–315 में शब्द ''निबंधित वास्तुविद'' को ''सक्षम प्राधिकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

33. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–316 का संशोधन।** – (1) उक्त अधिनियम की धारा–316 के उपशीर्षक ''निबंधित वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना का ब्यौरा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा'' को ''निबंधित वास्तुविद द्वारा तैयार भवन निर्माण योजना सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) धारा–316 की उप–धारा (1) के शब्द ''योजना को स्वीकृत करता है'' को शब्द ''योजना को तैयार करता है'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(3) धारा–316 की उप–धारा (2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''निबंधित वास्तुविद द्वारा तैयार भवन निर्माण योजना प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार, जांच पड़ताल कर सत्यापित करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि भवन निर्माण योजना भवन निर्माण उपविधि, अन्य और उस अधिनियम या नियमावली या उपविधि के अन्तर्गत वांछित मानकों के अनुरूप है और तब अनुमोदित करेगा।''

34. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–317 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–317 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''317 जाँच पड़ताल अथवा सत्यापन के पश्चात् यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार के द्वारा यह पाया जाता है कि भवन का स्थायी प्रकृति के निर्माण का निर्माण योजना प्रामाणिक वास्तुकार द्वारा भवन उपविधि और इस अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विचलन कर तैयार एवं अनुशंसित किया गया है तो वह अविलम्ब निर्माण कार्य को रोकेगा और स्वामी, धारक या ऐसे निर्माण के लिये उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करेगा और ऐसे निबंधित वास्तुविद के विरूद्ध भी कार्रवाई करेगा जिसने ऐसी भवन निर्माण योजना को तैयार किया एवं अनुशंसित किया;

परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि भवन या स्थायी प्रकृति के निर्माण का पूरा निर्माण अथवा निर्माण का प्रारंभ विधिवत, अनुमोदित भवन निर्माण योजना के आधार पर किया गया है और विचलन अनुमोदित योजना के अनुमत विचलन स्तर के अन्तर्गत है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार उसे गिराने का आदेश नहीं दे सकेगा;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार यथा स्थिति ऐसा दण्ड या जुर्माना की वसूली की कार्रवाई करेगा जिसका प्रावधान अधिनियम, नियमावली, विनियम अथवा भवन उपविधि के अन्तर्गत हो;

परन्तु यह और भी कि अनुमत स्तर का विचलन, भवन निर्माण की योजना तैयार करने तथा उसे अनुमोदित करने वाले निबंधित वास्तुकार को अभियोजित किये जाने का आधार नहीं होगा।

35. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–318 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–318 में–

(i) उप–धारा (1) में शब्द ''स्वीकृत'' को शब्द''तैयार और अनुशंसित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–धारा (2) में शब्द ''समर्पित स्वीकृत'' को शब्द ''तैयार एवं अनुशंसित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

36. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–322 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–322 के द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

''परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छह महीने बाद केवल वैसे वास्तुविद भवन निर्माण योजना तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे जिनका नगरपालिका के वास्तुविदों की पंजी में नाम निबंधित होगा। ''

37. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–329 का संशोधन।** – उक्त अधिनियम की धारा–329 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''329 भवन निर्माण योजना की नगरपालिका द्वारा स्वीकृति से उत्पन्न अपील की सुनवाई एवं निर्णय के लिए यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो एक या अधिक नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (बाद में उस धारा में न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति कर सकेगी तथा ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए वैसा फीस वसूल कर सकेगी जैसा सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

8 जनवरी 2014

सं0 एल0जी0-1-27/2013/लेज: 06—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2013 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2013
(Bihar Act 2, 2014)
AN
ACT

to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement:-** (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment of Section 2 (11) of the Bihar Act, 2007-** A new sub section (11a) shall be added after sub section (11) of section 2 of the said Act, namely:-
"(11a) Total built-up area means the carpet area that is actual usable area within the walls plus the thickness of walls and the balcony on each floor in a premise".

3. **Amendment of Section 2 (31) of the Bihar Act 11, 2007-** The words "Director of Local Bodies" wherever it occurs in Section 2 (31) shall be substituted by "Director of Municipal Administration"

4. **Amendment of Section 2 (101) of the Bihar Act 11, 2007-** Definition under sub section (101) shall be substituted by the following namely:-
"Action Taken Report" means the Report to be submitted by the Chief Municipal Officer on the action taken by the Municipality under Section 94".

5. **Amendment of Section 2 (103) of the Bihar Act 11, 2007-** In Section 2(103) after the word "streetlight", the word "shelter" shall be added.

6. **Amendment of Section 19 of the Bihar Act 11, 2007-** In Section 19, after the words 'as may be prescribed, words " by Government from time to time" shall be added.

7. **Amendment of Section 25 of the Bihar Act 11, 2007-** In Sub section (2) and (3) of Section 25, wherever the words "Divisional Commissioner" occurs, shall be substituted by the Word "Government"

8. **Amendment of Section-36 of the Bihar Act 11, 2007-** A new proviso under sub-section (4) of section- 36 shall be added namely:
The method of, and the qualifications required for, recruitment, and the terms and conditions of service including conduct, discipline and control of officers and other employees referred to in sub-section (1) of section 36 shall be such as may be prescribed under Rules."

9. **Amendment of Section-40 of the Bihar Act 11, 2007.-** After section- 40 of the said Act, a new Section 40A shall be added namely:-

" 40A The State Government may make provisions by framing Service Rules for different categories of officers and other employees of the Municipality for recruitment, service conditions, posting, transfer, promotion, disciplinary action and other related aspects of municipal service and municipal personnel management."

10. Amendment of Section 45 of the Bihar Act 11, 2007.- In Section 45 the said Act -

(i) in sub section (1)(a)(iv) the word "economic" shall be inserted after the words "preparation of plans for"

(ii) after sub-section (1)(a)(x) following new clause (XI) shall be added namely:

"(xi) Provision of basic services for urban poor and urban poverty alleviation".

11. Amendment of Section 46 of the Bihar Act 11, 2007.- In Section 46 of the said Act after the words "arrangements for fire prevention and fire safety" the words "economic empowerment of urban poor, creation of livelihood opportunities" shall be added:

12. Amendment of Section 82 of the Bihar Act 11, 2007.- In section- 82, after sub section (7) the following new sub-sections shall be added namely:

"(8) The budget estimate shall earmark a minimum of 25% of financial resources towards provision of basic services to urban poor;

(9) The budget estimate shall be prepared on cash basis showing no deficit i.e. opening balances plus all receipts less all expenditures must not result in negative cash balances." and existing sub section (8) shall be re-numbered as sub-section (10)"

13. Amendment of Section 88 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 88 of the said Act - The words "a Funds Flow Statement" shall be substituted by the words "a Cash Flow Statement." and the words "Receipt and Expenditure" shall be substituted by the words "Receipt and Payment."

14. Amendment of Section 91 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 91 of the said Act - (i) In sub-section-(2) of section 91 of the Act the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

(ii) After sub-section (2) - Sub section-(2a) shall be inserted, namely -

"The Comptroller & Auditor General of India shall provide Technical Guidance and Supervision (TGS) over the proper maintenance of accounts and audit thereof of Urban Local Bodies."

(iii) In sub-section-(3) the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

(iv) In sub-section-(6) the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

15. Amendment of Section 92 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 92 of the said Act In subsection-(1) the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller and Auditor General (C & AG)".

16. Amendment of Section 93 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 93 of the said Act In subsection-(1) of section- 93 "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller & Auditor General (C & AG)".

17. Amendment of Section 94 of the Bihar Act 11, 2007.-In section 94 of the said Act In section 94 of the Act the words "Examiner of Local Accounts" shall be substituted by the words "Comptroller & Auditor General (C & AG)".

18. Amendment of Section 98 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 98 of the said Act-

(i) in sub section 98(6)(cc) the words and number "section 90" shall be substituted by the words and number "Section 92"

(ii) in sub section 98(6)(d) the words and number "section 94" shall be substituted by the words and number "Section 96"

19. Amendment of Section 104 of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act -

(1) Clause (a) of section 104 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by the following:

"(a) The Empowered Standing Committee may sell and transfer or otherwise dispose of any immovable property belonging to the Municipality by following the procedure to be prescribed under the Rules."

(2) A new clause (aa) shall be added to section 104 of the Act namely:

"(aa) The Empowered Standing Committee may let out, rent, hire, lease, allot or go for settlement of any immovable property belonging to the Municipality by following the procedure to be prescribed under the Rules."

20. Amendment of Section 105 of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act the words "The Empowered Standing Committee" in the beginning of sub section-(1) of Section 105 shall be substituted by the words "The Chief Municipal Officer"

21. Amendment of Section 127 (6) of the Bihar Act 11, 2007.-In the said Act in Section 127 (6) shall be substituted by the following provision:

"For the purpose of calculation of Annual Rental Value of holdings, measurement of total built-up area shall be calculated as under:

(i) Individual Residential Property: 70% of total built up area;

(ii) Individual Non-Residential Property: 80% of total built-up area

(iii) Individual Residential Multistory buildings/apartments: 70% of total built- up area

(iv) Individual Non-Residential Multistory buildings/apartments: 80% of total built up area."

22. Amendment of Section 127 (7) (iii) of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act in Section 127(7)(iii) of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by the following as under"

"The rental value per sq. ft. of the built-up area for different classes of holdings shall be increased by minimum 15% every 5 years. The municipality may also increase the rental value and rates at any time during the five year period with the prior approval of the government"

23. Amendment of Section 127 (8) of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act in Sub-section (8) of Section 127 shall be substituted by the following:-

(8). "Property Tax shall be levied by the Municipality within a minimum of 9 percent and a maximum of 15 percent of the annual rental value of lands and buildings determined under sub-section (7) of Section 127."

"Provided that no Municipality shall levy the tax at a rate less than the minimum as provided for in Section 127 of this Act.

Provided also that no Municipality shall reduce the rate of tax already in use between the minimum and the maximum provided for under sub-section (8) of section 127, without prior approval of the State Government."

24. Amendment of Section 127 (8) (v) of the Bihar Act 11, 2007.- In the said Act a "proviso" shall be added in Section 127(8)(v) as follows namely:-

Provided that no such Tax shall be levied within two years from the date of acquisition of land by the owner.

25. **Amendment of Section 128 of the Bihar Act, 11, 2007.-** In the said Act second "proviso to section 128 shall be substituted by the following-

"Provided that the government may direct the Municipality to levy user charges if not levied or postponed by the Municipality."

26. **Amendment of Section 158 of the Bihar Act 11, 2007.-.**A new section 158A shall be added after section 158 of the said Act namely:

"158A Any property that has adopted a sustainable technique of rain water harvesting approved by the government may be given relief of five percent of the total Property Tax."

27. **Amendment of Section 228 (2) of the Bihar Act 11, 2007.-** Section 228 (2) of the said Act shall be substituted by the following namely:-

"(2) Such spot fines may be collected by officers, not below the rank of a sanitary inspector and/or any agency duly authorized by the Municipality."

28. **Amendment of Section 286 of the Bihar Act 11, 2007.-** Section 286 of the said Act shall be substituted by the following namely:-

"286- Notification or de-annulment of slums- "The Municipality shall declare an area as slum having habitation which meets the definition of slum given in Section 2(109) and shall notify, de-notify, define the external limits of any slum and may, from time to time, alter such limits by taking into account norms that may be prescribed by the government in this regard under Rules".

Provided that no slum shall be de-notified until it is provided basic essential services and prior approval of the Government is obtained to de-notify the same.

Provided also that irrespective of whether a slum is notified or not, basic municipal service shall be provided in all slums as defined Section in 2 (109) of this Act."

29. **Amendment of Section 287 of the Bihar Act 11, 2007.-** In Section 287 of the said Act

(i) The title of this Section shall to be substituted by the following:

Slum up-gradation and provision of basic services for the urban poor

(ii) In section-287 before the words "prepare such improvement schemes" words "in consultation with the slum dwellers" shall be added.

"in consultation with the slum dwellers"

(iii) In section-287 after the words "general improvement of slums" new words shall be added as under:

"Irrespective of tenure status of the lands occupied by the slum dwellers"

(iv) The word "scheme" wherever appearing shall be substituted by the word "plan".

30. **Amendment of Section 296 of the Bihar Act 11, 2007.-** In section 296 of the said Act -

(i) Explanation of sub section (1) shall be substituted by the following namely:-

"In this section, the expression, "unique premises number" shall mean a number consisting of alphabets and numbers assigned to the premises or part thereof by the Municipality in the following manner, namely:-

(a) the first two alphabets indicating the zone of the town in which the town shall be divided;

(b) the next three digits indicating each sector in the zone;

(c) the next four digits indicating the premises number;

(d) the next one digit indicating if the property is partitioned or more than one premises is merged together;

(e) in cases of merger of more than one premise or fragmentation of premise due to partition, new number shall be assigned to the premises and the new number so assigned to such premises shall be entered in the register and maintained for record.

(ii) In sub-section (2) of section 296, the words "any ward of" appearing after the words "in respect of premises in" shall be deleted.

(iii) In sub-section (3) of section 296, the words "in any ward" appearing after the words "in respect of premises" shall be deleted..

(iv) New sub-section (4) shall be added to this section after sub section (3):-

(4) Detailed scheme of assigning the Unique Premises Number shall be provided for in the Rules to be framed by the Government. The Government if required may also change the numbering scheme as described in sub-section (1)."

31. Amendment of Section 314 of the Bihar Act 11, 2007.- (1) In Section 314 of the said Act, the words "by a certified Architect registered under Architects Act, 1972" appearing after the words "the building plan is approved" shall be substituted by the following:

"By a competent authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the Government".

(2) The second Proviso to Section 314 shall be substituted by the following, -

"Provided further that in case the building plan is in contravention or deviation of the building bye-law, in addition to any other action that may be taken under this Act, the registered architect, the builder and the approving authority shall be liable to be prosecuted and shall be liable to pay fine of Rupees fifty thousand or sentence to imprisonment for a period which may extend to one year or both."

32. Amendment of Section 315 of the Bihar Act 11, 2007.- In section 315, of the said Act, the words "registered Architect" shall be substituted by the words "competent authority."

33. Amendment of Section 316 of the Bihar Act 11, 2007.- (1) In section 316 of the Bihar Municipal Act, 2007, the sub-title of this section "Building plan approved by registered Architect to be submitted to Chief Municipal Officer" shall be substituted by the following:

"Building plan prepared by registered Architect to be submitted to the competent authority."

(2) In sub-section (1) of section 316 of the Bihar municipal Act, 2007, the words "who approves" shall be substituted by the words " who prepares."

(3) Sub-section (2) of section 316 of the Bihar Municipal Act shall be substituted as under:

"On receipt of the building construction plan prepared by a registered Architect, the competent authority may enquire and verify and satisfy himself that the building construction plan conforms to building bye law and other parameters required under this Act or Rules or Bye Law and approve."

34. Amendment of Section 317 of the Bihar Act 11, 2007- In the said Act section 317 shall be substituted by the following:

"317 If Chief Municipal Officer or the competent authority, on such inquiry or verification, finds that the building or structure of permanent nature is in contravention, breach or deviation of building bye-law or other parameters under this Act, he shall immediately stop construction work and proceed to take action against

owner, occupier or any person responsible for construction of such building in contravention, breach or deviation of building bye-law and other parameter and shall also proceed to take action against the registered Architect, who prepared and recommended such building construction plan;

Provided that if however the building or structure of permanent pnature has been constructed or commence to construct after dully approved building construction plan, is found to have deviated from approved construction plan within permitted level deviation, the Chief Municipal Officer or the competent authority shall not order for its demolition;

Provided further Chief Municipal Officer or competent authority shall proceed to realize such fine or penalty as is prescribed under this Act or Rule, Regulation or building bye-laws as the case may be;

Provided further also that deviation within permitted level shall not be a ground to prosecute the registered Architect who prepared and recommended the building construction plan."

35. Amendment of Section 318 of the Bihar Act 11, 2007- In section-318 of the said Act-

(i) Sub-section (1) the word " approved" "shall be substituted by the words "prepared and recommended"

(ii) In sub-section (2) the word "submitted" shall be substituted by the words "prepared and recommended"

36. Amendment of Section 322 of the Bihar Act 11, 2007- Second proviso to section 322 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-

"Provided further that six months after commencement of this Act, only such architects shall be entitled to prepare Building Construction Plan whose name is registered in the register of Architects of the Municipality."

37. Amendment of Section 329 of the Bihar Act 11, 2007- (1) Section 329 of the said Act shall be substituted following, namely:-

"329 The State Government may appoint one or more Municipal Building Tribunals (hereinafter referred to in this section as the Tribunal) as may be considered necessary to hear and decide appeals arising out of sanctioning of building plans by the Municipality in accordance with such procedure, and to realize such fees in connection of with such appeals, as may be prescribed by the Government."

By order of the Governor of Bihar,
UJJAWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 73-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 711) पटना, शुक्रवार, 2 सितम्बर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 सितम्बर 2016

सं० एल०जी०—01—21/2016/182—लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 01 सितम्बर 2016 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016
[बिहार अधिनियम 16, 2016]

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा–13 का संशोधन।–उक्त अधिनियम, 2007 की धारा–13 का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के अंतर्विष्ट होते भी, जब तक वर्ष 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते है तब तक राज्य सरकार के लिए, 2011 जनगणना पर विनिश्चित नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या पुनः अवधारित करना, आवश्यक नहीं होगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

---

2 सितम्बर 2016

सं० एल०जी०–01–21/2016/183–लेज**—**बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2016 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2016
[Bihar Act 16, 2016]
AN
ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:—

1. ***Short title, extent and commencement.*****—**(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar .

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment of section-13 of the Bihar Act 11, 2007.*****—**Proviso to Section-13 of the said Act, 2007 shall be substituted by the following:-

"Provided that notwithstanding any thing contained in any other provision of this Act, until the relevant figures for the census of the year 2021 are published, it shall not be necessary for the State Government to re-determine the number of wards on the basis of population of the municipal area ascertained at 2011 Census."

By Order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 711-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1941 (श0)

(सं0 पटना 484) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–06/2020–4385/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 13, 2020]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–3 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''परन्तु यह और कि सभी दशाओं में दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का पचास प्रतिशत से कम होगी।''

3. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–50 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में संख्या ''2/5'' को संख्या ''1/3'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–67 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 67 के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

''परन्तु यह और कि राज्य सरकार के लिए व्यापक जनहित में ऐसा निदेश जैसा कि वह यथोचित समझे, जारी करना विधि संगत होगा, एवं नगरपालिका प्राधिकारी के लिए ऐसे निदेश का पालन करना अपेक्षित होगा।''

5. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–145 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 145 की उपधारा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं करेगा तथा न ही कोई विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दिवाल, टट्‌टी, फ्रेम, छतरी, ढाँचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के उपर लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा।

परन्तु यह कि लोक सभा निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचन के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित विज्ञापन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि लोक सभा निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचन के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान की परिधि में ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा।

6. **निरसन और व्यावृत्ति।**–

(1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या 02, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–06/2020–**4386/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2020 को अनुमत **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 13, 2020]

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2020

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR MUNICIPAL ACT, 2007 (ACT 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy first year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment of Section-3 of Bihar Act 11, 2007.—***

(i) Second proviso of sub section (1) of section 3 of the said Act shall be substituted by following:-

"Provided further that the total population of main cultivator workers and marginal cultivator workers shall be below fifty percent of total population of workers in such area in all cases."

3. ***Amendment of Section-50 of Bihar Act 11, 2007.—***

(i) In sub-section (1) of section 50 of the said Act the number "2/5" shall be substituted by the number "1/3".

4. ***Amendment of Section-67 of Bihar Act 11, 2007.—***

(i) After first proviso of section 67 of the said Act the second proviso shall be inserted by following:-

"Provided that it shall be lawful for the State Government in the larger public interest to issue such direction to the Municipal Authorities as may be deemed fit and proper, and the Muncipal Authorities will be expected to follow such direction."

5. ***Amendment of Section-145 of Bihar Act 11, 2007.—***

(i) Sub section (1) of Section 145 of the said Act shall be substituted by following:-

"(1) No person shall not erect, exhibit, fix or retain upon or over any land, building, wall, hoarding, frame post, kiosk, structure, vehicle, neon-sign of sky-sign, any advertisement or display any advertisement to public view in any manner whatsoever (including any advertisement exhibited by means of cinematograph), visible from a public street of public place, in any place within the Municipal area without permission, in writing, of the Chief Municipal Officer.

Provided that during Lok Sabha Elections and Legislative Assembly elections, written permission of the Chief Municipal Officer will not be necessary for the advertisement published for election campaign by political parties and candidates.

Provided further that during Lok Sabha Elections and Legislative Assembly elections, advertisement will be displayed by the Political Parties and candidates under the provisions of Representation of the People Act, 1951.

6. *Repeal and Savings.—*

(1) The Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No. 02, 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by, or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act inforce on the day on which such thing was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 484-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 231) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–03/2021–2169/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।"

पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–03/2021&2170@yst—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत fcgkj uxjikfydk ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 06] 2021½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 06, 2021]

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2021

AN ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11,2007).

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.*** —

(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment of Section-36 of Bihar Act 11, 2007 :-***

(i) Sub-section (2) of section 36 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"36 (2) Appointments of officers mentioned in sub-section (1) may be made either on a regular basis or on a contract basis for such term as the State Government may be prescribe."

(ii) Sub-section (3) of section 36 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"36 (3) Subject to the provisions of sub-section (2) officers mentioned in sub-section (1) and other employes of the Municipality, the method of appointment, required qualification, conduct and discipline, control and other conditions of service shall be such as may be prescribed."

(iii) Sub-section (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of section 36 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be deleted.

3. ***Amendment of Section-37 of Bihar Act 11, 2007 :-***

(i) Sub-section (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10) of section 37 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be deleted.

4. ***Amendment of Section-38 of Bihar Act 11, 2007 :-***

(i) Section 38 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"38. Appointing Authorities.- Subject to the other provisions of this Act, the appointing authority in respect of the posts of officers and other employees constituting the establishment of the Municipality shall be,-

(a) in the case of category, 'A' and category, 'B' posts, the Government and

(b) in the case of category 'C' posts,-Directorate of Municipal Administation under Urban Development and Housing Department and the cadre shall be state level."

5. ***Amendment of Section-41 of Bihar Act 11, 2007:-***

(i) First proviso of Section 41 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"Provided that the officer so appointed may be withdrawn by the State Government suo motu."

(ii) Second proviso of Section 41 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be deleted.

6. ***Amendment of Section-53 of Bihar Act 11, 2007:-***

(i) Section 53 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"53. Councillor or his any family member having pecuniary interest in any contract etc. with Municipality. -(1) If a Councillor or his any family member has any pecuniary interest, direct or indirect, in any having contract or proposed contract with or without employment under, or other matter concerning, the Municipality and is present at any meeting of the Municipality or of a committee thereof at which such contract or employment or other matter is subject of consideration, he shall, as soon as practicable after the commencement of such meeting, disclose the fact regarding such contract or employment or other matter, and shall not take part in the consideration or discussion of, or vote on, any question with respect to such contract or employment or other matter;

Provided that the provisions of this Section shall not apply to a Councillor or having interest as a tax-payer or inhabitant of the municipal area or consumer of water or having an interest in any matter relating to any civic service to the public.

(2) For the purposes of this Section, a Councillor or his any family member shall be deemed to have an indirect pecuniary interest in a contract or employment or other matter, if he or his nominee is a member of any company or other body with which the contract is made or is proposed to be made or which has a direct pecuniary interest in the employment or other matter under consideration, or if he is partner in a firm with which, or is in employment under a person with whom, the contract is made or is proposed to be made, or if such firm or person has a direct pecuniary interest in the employment or other matter under consideration;

Provided that-(i) the provisions of this sub-section shall not apply to a Councillor or his any family member who is a member of, or is in employment under, any public institution or organization under any law for the time being in force, and

(ii) A Councillor or his any family member shall not, by reason of his membership of a company or other body, be treated as having any pecuniary interest in such company or other body if he has no beneficial interest in any share or stock of such company or other body.

Explanation. – Family means Councillor husband or wife, Coucillor son and daughter."

7. ***Amendment of Section-56 of Bihar Act 11, 2007:-***

(i) Section 56 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"56. Right of Chief Municipal Officer and other Officers to attend meeting of Municipality and Committees etc. -The Chief Municipal Officer of the municipality or any other officer authorized in writing by him in this behalf shall attend the meeting of the municipality or any of its committees and their attendance shall be compulsory.

Provided that the Chief Municipal Officer or other officer authorized in this behalf shall not have the right to vote in the meeting of the municipality and committee. "

8. ***Amendment of Section-435 of Bihar Act 11, 2007:-***

(i) Section 435 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"Encroachment on streets-

(1) Any person causing encroachment or obstruction on a public road, footpath, drainage, sewerage and park under the municipal area without the written permission of the municipal officer or such other officer as is authorized by the State Government, shall not encroach and block by permanent and temporary structures.

Explanation.—Permanent encroachment means encroachment or obstruction by a structure constructed by brick, cement, concrete and in addition all encroachment or obstruction shall be considered as temporary encroachment and obstruction.

(2) Any person who shall make such permanent or temporary encroachment or blockage of any property of the municipality as aforesaid, punishable with fine up to twenty thousand rupees in case of permanent encroachment and up to five thousand rupees in case of temporary encroachment.

(3) The Municipal Officer or the authorized officer shall issue a notice fifteen days in advance to remove such permanent encroachment and obstruction. Failure to satisfy the Municipal Officer or the Authorized Officer with cause in respect of such permanent encroachment or blockage within fifteen days may be punished by the Municipal Officer or the Authorized Officer with penalty or as arrear of holding from such person will be able to recover.

Provided that the municipal officer or the authorized officer may remove the temporary encroachment and obstruction by giving twenty-four hours notice."

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 231-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 176) पटना, शनिवार, 2 अप्रील 2022

fof/k foHkkx

अधिसूचना

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–01/2022–2829/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रैल 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,

ljdkj ds iHkkjh lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 06] 2022]

fcgkj uxjikfydk ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2022

fcgkj uxjikfydk vf/kfu;e] 2007 ¼fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007½ dk la'kks/ku djus ds fy, vf/kfu;e A

भारत–गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

1- laf{kIr uke] foLrkj vkSj izkjEHkA– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&2 dk la'kks/kuA& उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (104) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

धारा 2 (104)–^^uxjikfydk dk cksMZ** का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 12 एवं 23 के अन्तर्गत आम निर्वाचन में अथवा उप निर्वाचन में निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों का निर्वाचित निकाय;

3- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&11 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

/kkjk 11 ¼1½–प्रत्येक नगरपालिका में एक–एक निर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद होंगे तथा निर्वाचित पार्षदों की संख्या उतनी होगी जितने कि उस नगरपालिका क्षेत्र में इस अधिनियम की धारा–13 के उपबंधों के अधीन अवधारित वार्ड होंगे। निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद नगरपालिका के सदस्य होंगे।

4- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&12 dk la'kks/kuA&

(i) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

/kkjk 12 ¼1½&उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक नगरपालिका में धारा–23 के अन्तर्गत निर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद सदस्य होंगे तथा नगरपालिकाओं के पार्षदों के सभी स्थान संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों से भरे जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए हरेक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जिन्हें वार्ड कहा जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) (क) में आये शब्द ''सदस्यों के कुल स्थानों'' को शब्द ''पार्षदों के कुल स्थानों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) (क) एवं (ख) में आये शब्द ''स्थानों'' को शब्द ''वार्ड पार्षद के स्थानों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
/kkjk 12 ¼4½&बैठक में मत देने का अधिकार नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को होगा।

5- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&18 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&23 dk la'kks/kuA& उक्त अधिनियम की धारा 23 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

/kkjk 23 ¼1½&मुख्य पार्षद एवं उप–मुख्य पार्षद उसी नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित होगा, जो धारा 24 के अधीन गोपनीयता की शपथ लेने के तुरत बाद अपना कार्य ग्रहण करेगा।

/kkjk 23 ¼2½–मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी या अन्यथा कारणों से मुख्य पार्षद या उप–मुख्य पार्षद पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन होगा और इस प्रकार निर्वाचित मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।

/kkjk 23 ¼3½–यदि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''

7- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&24 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3) जोड़ा जायेगा :–

/kkjk 24 ¼3½&नगरपालिका के मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य निर्वाचित होने के बाद तीन महीना के अन्दर गोपनीयता की शपथ न ले सके तो वह अपने पद पर नहीं रह जायेगा और उसका स्थान रिक्त माना जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले या मामले की कोटि में किसी कारण से तीन महीना की अवधि को जैसा कि उपर कहा गया है इतनी अवधि तक, जो उचित समझे, अभिलिखित कर बढ़ा सकती है।

8- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&25 dk l'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 25 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

/kkjk 25 ¼1½–मुख्य पार्षद एवं उप–मुख्य पार्षद अपने पद से सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग–पत्र दे सकेगा।

/kkjk 25 ¼2½–उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग–पत्र, ऐसा त्याग–पत्र दिये जाने के सात दिनों के बाद प्रभावी हो जायेगा बशर्त्ते कि उक्त सात दिनों के भीतर यथास्थिति सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित त्याग–पत्र वह वापस न ले लें।

/kkjk 25 ¼3½&पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर विहित रीति से इस प्रयोजनार्थ बुलायी गई विशेष बैठक में तत्समय पदधारण करने वाले पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकेगा, और इस विशेष बैठक के कार्य संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाए;

परन्तु यह कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक वर्ष के बीच पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि नगरपालिका के शेष छः माह की अवधि के बीच अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

/kkjk 25 ¼4½–इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के विचार में यदि कोई मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान–बुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को उसके पद से हटा सकेगी।

परन्तु धारा–44 के अधीन लोकप्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार, इस उपधारा के अधीन ऐसे लोकप्रहरी की अनुशंसा के आधार पर ही आदेश पारित कर सकेगी।

/kkjk 25 ¼5½–इस प्रकार हटाया गया मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद ऐसी नगरपालिका में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

9- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&26 dk l'kks/kuA& उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में आये शब्द एवं अंक ''उपधारा–3'' को शब्द एवं अंक ''उपधारा–2'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&27 dk l'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) (घ) एवं उपधारा (2) में आये शब्द एवं अंक ''उपधारा–3'' को शब्द एवं अंक ''उपधारा–2'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&29 dk l'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 29 में आये शब्द ''मुख्य पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&35 dk l'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&49 dk l'kks/kuA&

(i) उक्त अधिनियम की धारा 49 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 49 के स्पष्टीकरण में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&50 dk l'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 50 में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&51 dk l'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) का प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक विलोपित हो जायेगा।

16- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&53 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 53 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&54 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 54 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&60 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 60 में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

19- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&61 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 61 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

/kkjk 61–कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण।– नगरपालिका की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी पार्षदों को परिचालित किया जायेगा और जो सभी उपयुक्त समय पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं किसी पार्षद द्वारा निःशुल्क और अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क के भुगतान पर जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाय, नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

20- fcgkj vf/kfu;e] 11] 2007 dh /kkjk&417 dk la'kks/kuA&उक्त अधिनियम की धारा 417 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

21- fujlu ,oa O;kofRrA&

(1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या 01, 2022) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसे कार्रवाई की गई थी।

T;ksfrLo:i JhokLro]
ljdkj ds izHkkjh lfpoA

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–01/2022&2830@ys0—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमत fcgkj uxjikfydk ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2022 **(बिहार अधिनियम 06, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
T;ksfrLo:i JhokLro]
ljdkj ds izHkkjh lfpoA

[Bihar Act 06, 2022]

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022

AN

ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11,2007).

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment of Section-2 of Bihar Act 11, 2007.—***In the said Act in sub-section (104) of Section 2 shall be substituted by the following:-

Section 2 (144)- "Board of Councillors" means the elected body of the Municipality consisting of Chief Councillors, Deputy Chief Councillors and

Councillors elected in general election under section 12 and 23 of this Act or in by election of a Municipality.

3. ***Amendment of Section-11 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) of Section 11 shall be substituted by the following:-

Section 11 (1)- There shall be one elected Chief Councilor and Deputy Chief Councilor in each municipality and the number of elected councilors shall be such as the number of wards determined under the provisions of section 13 of this Act in that municipal area. The elected chief councilors, deputy chief councilors and councilors will be members of the municipality.

4. ***Amendment of Section-12 of Bihar Act 11, 2007.***—

(i) In the said Act in sub-section (1) of Section 12, wherever the words " all the seats in the municipalities" occurs shall be substituted by the words "all the seats of Councillors in the municipalities".

(ii) In the said Act in sub-section (2) (a) of Section 12, wherever the words " total seats of the member" occurs shall be substituted by the words "total seats of Councillors".

(iii) In the said Act in sub-section (2) (a) and (b) of Section 12, wherever the words " seats" occurs shall be substituted by the words "seats of Councillor".

(iii) In the said Act in sub-section (4) of Section 12 shall be substituted by the following ;-

Every member of the Municipality shall have the right to vote in the meeting.

5. ***Amendment of Section-18 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (2) of Section 18, wherever the words "Member" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and Councillor".

6. ***Amendment of Section-23 of Bihar Act 11, 2007.***—Section 23 of the said Act shall be substituted by following:-

23 (1) A Chief Councillor and Deputy Chief Councillor of the Municipality shall be directly elected by the voters enrolled in the voter's list of that Municipality under the direction, control and supervision of the State Election Commission, who shall assume office forthwith after taking the oath of secrecy under section 24.

23 (2) In the case of any casual vacancy in the office of the Chief Councillor or Deputy Chief councillor caused by death, resignation, removal or otherwise, election to fill up the vacancy to be held such procedure as may be prescribed and the Chief Councillor or the Deputy Chief Councillor so elected shall continue in office for the unexpired term of his predecessor.

23 (3) If any casual vacancy occurs in the office of the Member of the Empowered Standing Committee, the Chief Councillor shall as soon as may, after the occurrence of such vacancy, nominate one of the elected members of the Municipality to fill the vacancy and every Councillor so nominated shall continue in office for the unexpired term of his predecessor."

7. ***Amendment of Section-24 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act after sub-section (2) of Section 23 the following sub-section (3) shall be added :-

Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and the member of Empowered Standing Committee of Municipality fails to make and subscribe, within three months after elected the oath of secrecy, shall cease to hold his office and his seat shall be deemed to have become vacant;

Provided that the State Government may, for reasons to be recorded in writing, extend in each case or class of cases the period of three months as aforesaid by such period as it think fit.

8. ***Amendment of Section-25 of Bihar Act 11, 2007.***—Section 25 of the said Act shall be substituted by following:-

25 (1) The Chief Councillor and Deputy Chief Councillor may resign his office by writing under his hand addressed to the Government.

25 (2) Every resignation under sub-section (1) shall take effect on the expiry of seven days from the date of such resignation, unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Government.

25 (3) The Chief Councillor/Deputy Chief Councillor may be removed from office by a resolution carried by a majority of the whole number of Councillors holding office for the time being at a special meeting to be called for this purpose in the manner prescribed, upon a requision made in writing by not less than one third of the total number of Councillors, and the procedure for the conduct of business in the special meeting shall be such as may be prescribed;

Provided that a no confidence motion shall not be brought against the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor within a period of two years of taking over charge of the post;

Provided further that a no confidence motion shall not be brought again within one year of the first no confidence motion;

Provided further also that no confidence motion shall not be brought within the residual period of six months of the municipality;

Provided further also that a no confidence motion shall not be brought against the direct elected Chief Councillor/Deputy Chief Councillor.

25 (4) Without prejudice to the provisions under this Act, if, in opinion of the Government having territorial jurisdiction over the Municipality the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings or sittings or wilfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Government may, after giving the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Chief Councillor/Deputy Chief Councillor from office.

Provided that after appointment of Lok Prahari, under section 44, the Government, may pass order under this sub-section only on the basis of recommendation of such Lok Prahari.

25 (5) The Chief Councillor/Deputy Chief Councillor so removed shall not be eligible for re-election as Chief Councillor/Deputy Chief Councillor during the remaining term of office of such Municipality.

9. ***Amendment of Section-26 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (2) of Section 26, wherever the word and number “sub-section (3)” occurs shall be substituted by the word and number “sub-section (2)”.

10. ***Amendment of Section-27 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) (d) and sub section (2) of Section 27, wherever the word and number "sub-section (3)" occurs shall be substituted by the word and number "sub-section (2)".

11. ***Amendment of Section-29 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 29, wherever the words "Chief Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor and Deputy Chief Councillor".

12. ***Amendment of Section-35 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) of Section 35, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

13. ***Amendment of Section-49 of Bihar Act 11, 2007.***—

(i) In the said Act in Section 49, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

(ii) In the said Act in Explanation of Section 49, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

14. ***Amendment of Section-50 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 50, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

15. ***Amendment of Section-51 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) of Section 51, the first and second proviso shall be deleted.

16. ***Amendment of Section-53 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 53, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillor".

17. ***Amendment of Section-54 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 54, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillor".

18. ***Amendment of Section-60 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 60, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

19. ***Amendment of Section-61 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act Section 61 shall be substituted by the following:-

> ***Section 61-Circulation and inspection of minutes-*** Minutes of the proceedings of each meeting of the Municipality shall be circulated to Chief Councillor Deputy Chief Councillor and all the Councillors and shall, all reasonable times, be available at the office of the Municipality for inspection by Chief Councillors, Deputy Chief Councillors and any Councillor, free of cost, and by any other person on payment of such fees as the Municipality may determine.

20. ***Amendment of Section-417 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 417, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillor".

21. ***Repeal and Savings:-***

(1) The Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2022 (Bihar Ordinance No. 01,2022) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred

by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or such action was taken.

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 176-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1944 (श0)

(सं0 पटना 58) पटना, शुक्रवार, 13 जनवरी 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2023

सं० एल०जी०–01–20/2022–375/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 जनवरी, 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2022
(बिहार अधिनियम 05, 2023)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–435 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 435 के उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(3) नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने हेतु पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा। पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण/अवरोध हटाने का आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाया जा सकेगा और संबंधित अतिक्रमणकर्त्ता को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे अतिक्रमण को हटाने में होनेवाले व्यय की वसूली अतिक्रमणकर्त्ता से किया जा सकेगा। दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में ऐसे अतिक्रमणकर्त्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जायेगी।

परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।''

13 जनवरी 2023

सं० एल०जी०–01–20/2022–**376/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक- 8 जनवरी, 2023 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम, 05, 2023**) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022
(Bihar Act 25, 2023)

AN
Act

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11,2007).

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment of Section-435 of Bihar Act 11, 2007:-

(i) Sub-Section (3) of Section 435 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"(3) The Municipal Officer or the authorized officer shall issue fifteen days prior notice for the removal of such permanent encroachment and obstruction. In case of failure to satisfy the municipal officer or authorized officer with reasons regarding such permanent encroachment or obstruction within fifteen days, the encroachment may be removed by passing an order to remove encroachment/obstruction by the municipal officer or authorized officer and the concerned encroacher may be punished

with Penalty and the cost of removal of such encroachment will be recovered from the encroacher. In case of not recovered the amount of Punishment and penalty, then as arrears of holding from such encroacher.

Provided that the municipal officer or the authorized officer may remove the temporary encroachment and obstruction by giving twenty four hours notice."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 58-571+400-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 752)   पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–16/2024/4870 लेजः––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक–06 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 19,2024)

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–19 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 19 में आए शब्द ''मुख्य पार्षद'' के बाद ''उप मुख्य पार्षद'' शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा।

3. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–24 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 24 में आए शब्द ''मुख्य पार्षद'' के बाद शब्द ''उप मुख्य पार्षद'' अंतःस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–25 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) को विलोपित किया जायेगा।

5. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–27आ का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 27आ की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(2) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिए नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 27आ की उपधारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(7) किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जिसे इस हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा नामित किया जाय।''

6. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–52 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा (5) जोड़ा जायेगाः–

''(5) नगरपालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के किसी नियम/निर्देश के विरूद्ध अथवा उससे असंगत प्रस्ताव पर अनुमोदन/विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद अथवा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगरपालिका के किसी बैठक में लाया जाता है तो इसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

7. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–55 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''(1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में केवल सदस्यों की ही भागीदारी होगी।''

8. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–60 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 60 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः–

''परन्तु यह कि नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त बैठक के आयोजन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा जो इस पर सदस्य सचिव के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगे और इसे मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद को हस्ताक्षर हेतु भेजा जायेगा और मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद के हस्ताक्षर के उपरान्त बैठक का कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–80 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 80 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–143 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 143 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''143. **अपील**–(1) अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम के मामले में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसी अपील धारा–142 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अपील के साथ आपत्ति पंजी एवं पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न रहेगी एवं इसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित रीति से किया जायेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत सभी अपील पर भारतीय परिमितता अधिनियम, 1908 के भाग–II के प्रावधान लागू होंगे।

(4) धारा 142 के अन्तर्गत प्रथम बार जिन आपत्तियों का निर्धारण नहीं हुआ हो उन पर अपील स्वीकार्य नहीं होगी।

(5) प्रमण्डलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी के निर्णय को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लंबित रहने पर कर निर्धारण या देय होल्डिंग करों अथवा उनकी किस्तों की वसूली पर रोक नहीं रहेगी किन्तु अपील के अधीन कर निर्धारण पर ऐसा निर्धारण होता है कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना था या ऐसे कर अथवा उसकी किस्त की वसूली नहीं की जानी थी, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसे वसूले गये कर अथवा अधिक वसूले गये अंश की वापसी पारित अंतिम निर्णय के आलोक में की जायेगी अथवा भविष्य में उद्भूत होने वाले मांग के विरूद्ध उसका समायोजन किया जा सकेगा।

11. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–147 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 147 में आए शब्द ''विनियमों'' को शब्द ''नियमों/विनियमों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–148 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 148 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–150 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 150 में आए शब्द ''विनियमों'' को शब्द ''नियमों/विनियमों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–151 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 151 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–152 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 152 में आए शब्द ''विनियमों'' को शब्द ''नियमों/विनियमों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

16. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–221 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 221 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''221. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन का सौंपा जाना तथा प्रभार का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण।– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के प्रयोजनार्थ तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधा यदि कोई हो, के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित नियम/विनियम के अनुसार प्रभार उद्गृहित किया जाएगा और उसका भुगतान ऐसी दर पर किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या नगरपालिका समय–समय पर नियत करें, परन्तु इस संबंध में किसी भी कार्य हेतु यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व से कोई दर निर्धारित किया गया हो, तो वही लागू होगा।

परन्तु यह कि यथापूर्वोक्त प्रभार यथासाध्य ऐसा होगा जिससे कि इसमें नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन तथा उसके संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु बुनियादी सुविधाओं, यदि हो, मद में लागत तथा ऋृण शोधन कार्य की लागत, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य ह्रास और अन्य प्रभार, यदि हो, सम्मिलित हो;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव संबंधी और संचालन और पूर्वोक्त

प्रभार के बिल की तैयारी और उसके संग्रहण संबंधी कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।''

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका के लिए विकेन्द्रीकृत रूप से या नगरपालिका के समूह/कलस्टर का गठन करके केन्द्रीकृत रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान का निर्णय ले सकती है, जिसमें एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार या किसी नगरपालिका द्वारा की जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

17. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–228 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 228 में आए शब्द ''विनियम'' को शब्द ''नियम/विनियम'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–419 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 419 की उपधारा (3) को विलोपित किया जायेगा।

19. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–421 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 421 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

''**421. विनियम बनाने की शक्ति।**–राज्य सरकार/नगरपालिका समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगी।''

20. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–422 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 422 की उप धारा (ख) में आए शब्द ''नगरपालिका'' को शब्द ''नगरपालिका/राज्य सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 422 की उप धारा (ग) में आए शब्द ''सशक्त स्थायी समिति'' को शब्द '' सशक्त स्थायी समिति /राज्य सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

21. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–425 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 425 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

''**425. विनियम के बारे में अनुपूरक उपबन्ध।**– कोई विनियम, जो इस अधिनियम के अधीन बनाया जा सके, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा आवश्यकतानुसार बनाया जा सकेगा।''

7 अगस्त 2024

सं० एल०जी०–01–16/2024/4871 लेजः––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2024 को अनुमत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 19, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(BIHAR ACT 19, 2024)

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2024

AN

ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007).

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the seventy fifth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment of Section-19 of Bihar Act 11, 2007.

(i) After the words "Chief Councillor" appearing in Section 19 of the said act the words "Deputy Chief Councillor" shall be inserted.

3. Amendment of Section 24 of Bihar Act, 11, 2007.

After the words "Chief Councillor" appearing in Section 24 of the said Act, the words "Deputy Chief Councillor" shall be inserted.

4. Amendment of Section 25 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub - section (3) of Section 25 of the said Act shall be deleted.

5. Amendment of Section 27 B of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub-section (2) of Section 27 B of the said Act shall be substituted by the following:-

"(2) The executive functions for running the administration of the Municipality under provision of this Act and any Rules or Bye-laws made there under shall vest in the Chief Municipal Officer."

(ii) Sub-section 7 of Section 27 B of the said Act shall be substituted by the following:-

"(7) In the case of absence of the Chief Municipal Officer for any reason, the powers of the Chief Municipal Officer as specified in the previous provisions of this section or elsewhere in this Act or the Rules made under this Act, shall be exercised by any officer of the Municipality as may be nominated by the Chief Municipal Officer.

6. Amendment of Section 52 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) After sub-section (4) of Section 52 of the said Act, the following sub-section (5) shall be added:-

"(5) No proposal against or inconsistent with any rule/instruction of the State Government shall be approved/ considered in any meeting of the Municipality and Such proposal shall not be considered by the Chief Councillor or the Presiding Officer. In case if such proposal is brought in any meeting of the municipality then it shall be sent to the State Government for consideration, by the Chief Municipal Officer, and the decision of State Government shall be final in this regard.

7. Amendment of Section 55 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub-section (1) of Section 55 of the said Act shall be substituted by the following :-

"(1) Every meeting of the Municipality shall be attended by the members only."

8. Amendment of Section 60 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The following proviso shall be added after Section 60 of the said Act:-

"Provided that the minutes of every meeting of the Municipality and of a Municipal Committee shall be compulsorily issued within one week from the date of convening of the meeting. The minutes of the meeting shall be prepared by the Chief Municipal Officer, who will put his signature on it as Member Secretary and will send it to the Chief Councillor or Councillor presiding over the meeting for signature and after the signature of the Chief Councillor or Councillor presiding over the meeting, the minutes of the meeting shall be issued by the Chief Municipal Officer.

9. Amendment of Section 80 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 80 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

10. Amendment of Section 143 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 143 of the said Act shall be substituted by the following :-

"143. **Appeal** - (1) Any person dissatisfied with the order passed on his objection may appeal to the concerned Divisional Commissioner in the case of Municipal Corporation and to the concerned District Magistrate in the case of Municipal Council and Nagar Panchayat, whose decision shall be final.

(2) Such appeal shall be presented within thirty days of the date of the order passed under Section 142. A copy of the extract of the objection register and the order passed shall be attached with the appeal and Shall it be disposed of according to such procedure as may be prescribed by the State Government.

(3) The provisions of Part Il of the Indian Limitation Act, 1908 relating to appeals shall apply to every appeal preferred under this section.

(4) No appeal shall be admitted under this section unless an objection has first been determined under Section 142.

(5) The decision of the Divisional Commissioner or District Magistrate shall be implemented by the Chief Municipal Officer.

(6) There shall be no bar on the determination or realization of any tax or installment thereof payable in respect of any holding due to pendency of an appeal or decision under this section. But if by the final decision in the appeal, it is determined that such tax ought not to have been levied or such tax or installment ought not to have been realized then the Chief Municipal Officer shall refund to such person the amount of such tax realized or such part of amount realized in excess in accordance with such final decision, as the case may be, or such excess amount shall be adjustable against future demand.

11. Amendment of Section 147 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 147 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

12. Amendment of Section 148 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 148 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

13. Amendment of Section 150 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 150 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

14. Amendment of Section 151 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 151 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

15. Amendment of Section 152 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 152 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

16. Amendment of Section 221 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 221 of the said Act shall be substituted by the following:-

"221. **Entrustment of management and handling of solid wastes and billing and collection of charges** – Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, for the purpose of management, handling of Municipal Solid Wastes and for development of infrastructure, if any, for collection, storage, transportation, processing and disposal of such solid wastes, a charge shall be levied and payment shall be made at such rate as fixed by the Municipality or the State Government from time to time; however if the rate for any work in this regard has already been fixed by the State Government, then the same shall be applicable.

Provided that the charges as aforesaid shall, as far as practicable be such as shall cover the costs on account of management and handling of Municipal Solid Wastes and development of infrastructure, if any, for collection, storage, transportation, processing and disposal thereof and also the costs of debt-servicing, depreciation of plant and machinery and other charges, if any;

Provided further that the Chief Municipal Officer may with the prior approval of the Empowered Standing Committee, entrust development of infrastructure for collection, storage, transportation, processing and disposal of solid wastes, the work of management and handling of municipal solid wastes and the work of billing and collection of the charges as aforesaid to any agency under any law for the time being in force or to any other agency.

Provided further that the State Government may decide to undertake collection, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste through decentralized approach for any Municipality or centralized approach by forming a group/cluster of Municipalities, with process of selection of agency to be carried out by the State or any Municipality as decided by the State Government.

17. Amendment of Section 228 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Regulations" appearing in Section 228 of the said Act shall be substituted by the words "Rules/Regulations".

18. Amendment of Section 419 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Sub Section(3) of section 419 of the said Act shall be deleted.

19. Amendment of Section 421 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 421 of the said Act shall be substituted by the following:-

"**421. Power to make regulations**.- The State Government/Municipality may, from time to time, make regulations consistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder, for the purpose of giving effect to the provisions of this Act."

20. Amendment of Section 422 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) The word "Municipality" appearing in Sub Section (b) of section 422 of the said act shall be substituted by the word "Municipality/ State Government".

(ii) The word "Empowered Standing Committee" appearing in Sub Section (c) of section 422 of the said act shall be substituted by the word "Empowered Standing Committee /State Government".

21. Amendment of Section 425 of Bihar Act, 11, 2007.

(i) Section 425 of the said Act shall be substituted by the following:-

"**425. Supplementary provisions respecting regulations** - Any regulation Which may be made under this Act may be made by the State Government/Municipality as per need, after commencement of this Act."

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 752-571+400-डी०टी०पी० ।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1354) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2025

सं० एल०जी०–01–13/2025–5146/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम संख्या 14, 2025]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।**–

(1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. **धारा 27 ''आ'' की उप धारा (2) में संशोधन ।**–धारा–27 ''आ'' की उपधारा (2) के वर्तमान प्रावधान की नयी उपधारा (2) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(2) नगरपालिका प्रशासन हेतु कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी में निहित होगा, जो सशक्त स्थायी समिति की निगरानी तथा इस अधिनियम के साथ–साथ इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, उप–विधियों के प्रावधानों के अधीन होगा।''

3. **धारा 55 के उपधारा (1) में संशोधन ।**–धारा 55 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (1) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में पार्षदों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी के द्वारा भाग लिया जाएगा जबकि सीमित संख्या (सरकार द्वारा यथा निर्धारित) में दर्शक भी मुख्य नगर पार्षद की अनुमति से वहां उपस्थित हो सकते हैं।''

4. **धारा 60 में संशोधन ।**–धारा 60 के वर्तमान परन्तुक को नये परन्तुक द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''परन्तु प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले पार्षद द्वारा बैठक के आयोजन की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर विहित रूप से हस्ताक्षरित कर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जाएगा।''

5. **धारा 143 की उपधारा (1) में संशोधन ।**–धारा 143 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (1) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(1) कोई भी व्यक्ति जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हो तो वह ऐसे आदेश के 30 (तीस) दिनों के भीतर उस जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित नगरपालिका स्थित है, जिनका निर्णय अंतिम होगा।''

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

---

13 अगस्त 2025

सं० एल०जी०–01–13/2025–5147/लेज——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2025 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025** (बिहार अधिनियम 14, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[BIHAR ACT NO. 14, 2025]

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2025

AN

ACT

to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the State Legislature of Bihar in the Seventy Sixth year of the Republic of India as follows:

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (1) This Act shall be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2025.
   (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. ***Amendment in sub-section(2) of Section-27B.***—The extant provision of sub section (2) of Section 27-B shall be substituted by the new sub-section (2) as follows :

   "(2)The executive functions for carrying out the administration of the Municipality shall vest in the Chief Municipal Officer subject to the supervision of the Empowered Standing Committee and provision of this Act as well as the Rules, Regulation and by-laws made there under."

3. ***Amendment in sub-section (1) of section 55.***—The extant provision of Sub-Section-(1) of the Section 55 shall be substituted by new sub-section(1) as follows :

   "(1)Every meeting of the Municipality shall be attended by the Members and Chief Municipal Officer or any other officer nominated by him on this behalf while spectators in limited numbers (as fixed by the Government) may also be present there with due permission of the Chief Municipal Councillor ."

4. ***Amendment in Section-60.***—The extant Proviso of section-60 shall be substituted by the new proviso as follows :

   "Provided that the minutes of every meeting shall be compulsorily issued within a fortnight from the date of convening of the meeting duly signed by the Chief Councilor or Councilor presiding over the meeting."

5. ***Amendment in sub-Section (1) of Section-143.***—The extant provision of sub-section (1) of Section 143 shall be substituted by the new sub-section (1) as follows :

   "(1) Any person dissatisfied with the order passed by the Chief Municipal officer or any other officer duly authorized by the state Government, may file an appeal before the District Judge of the District in the jurisdiction of which the Municipality comes, within 30 (Thirty) days of such order, whose order shall be final."

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1354-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 273) पटना, वृहस्पतिवार, 12 मार्च 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2026

सं० एल०जी०–01–09/2026–2109/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026

[बिहार अधिनियम सं०–03, 2026]

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

जबकि भारत के संविधान में 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय नगर निकायों को शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के रूप में मान्यता दी गई है।

जबकि संविधान में निर्वाचित स्थानीय नगर निकायों को कतिपय कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाने का उपबंध किया गया है।

जबकि 74वें संशोधन के अनुरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के होते हुए यह भी उपबंधित है कि संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर महापौर/उप–महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।

जबकि निर्वाचित निकायों द्वारा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थानीय नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

जबकि वर्तमान अधिनियम के अधीन सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।

जबकि यह देखा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अनुरूप सशक्त स्थायी समिति के गठन के दौरान अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पक्षपात के आरोप, निर्वाचित पदाधिकारियों में से किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों में अधिकारों का संकेन्द्रण, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति एवं उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण होता है, जो कि संविधान द्वारा अभिप्रेत विकेन्द्रीकरण की भावना के प्रतिकूल है।

जबकि यह उपयुक्त एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि सशक्त स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाया जाए तथा इसके लिए उपबंध किया जाए।

जबकि कुछ वर्ग के सदस्यों को बैठकों में सम्मिलित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं, अतः ऐसे सदस्यों के संबंध में उपयुक्त उपबंध किया जाना आवश्यक है।

जबकि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के निराकरण हेतु तत्काल उपबंध करना आवश्यक है।

अतः अब, 77वें गणतंत्र वर्ष में, बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–**

(1) यह विधेयक बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **धारा 12 के उपधारा (3) का संशोधन।–**

उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में परन्तुक को जोड़ा जाएगा :–

''लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के वैसे सदस्य जो इस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हो उन्हें नगरपालिका का सदस्य माना गया है;

परन्तु लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों की सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक में भाग लेने से छूट प्राप्त होगी।

साथ ही नगरपालिका की बैठक में भाग लेने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री/राज्य सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को अपनी व्यस्तता की स्थिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति (अपने निकट संबंधी को छोड़कर) के मनोनयन की भी छूट होगी;

परन्तु ऐसे मनोनीत व्यक्ति, को मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।''

3. **धारा 21 की उप धारा (3) का संशोधन।**–धारा–21 की उपधारा (3) के वर्त्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (3) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''नगर निकाय के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन संबंधित पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा;

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त, अधिकतम छः माह की अवधि के भीतर सशक्त स्थायी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराया जाएगा।''

नोट :– **विभाग समय–समय पर मतदान की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा।**

4. **धारा 23 के उप धारा (3) का संशोधन।**–धारा–23 की उपधारा (3) निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''यदि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 21(3) में वर्णित विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा एवं ऐसा पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''

5. **धारा 27 का संशोधन।**–धारा–27 की उप–धारा (2) के पश्चात् एक नई उप–धारा (3) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाएगी :–

"(3) धारा 21 अथवा धारा 27 में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, सभी नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का विघटन इस आशय से किया जाएगा कि पार्षदों के गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचन कर उसकी पुनर्संरचना की जा सके, जो कि जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में संपन्न होगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सभी नगर निकायों अथवा किसी नगर निकाय की सशक्त स्थायी समिति के विघटन की तिथि अधिसूचित कर सकती है, जो अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगी ताकि चुनाव कराए जा सकें।"

6 **निरसन एवं व्यावृति।**–

(i) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (अध्यादेश सं0–03, 2025) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

12 मार्च 2026

सं० एल०जी०–01–09/2026–**2110/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2026 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 03, 2026)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2026
[Bihar Act No.- 03, 2026]
AN
ACT

to amend the Bill to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007).

Whereas, by 74th amendment to the Constitution of India, Urban Local Bodies have been recognized as a means of local administration in urban area.

Whereas, the Constitution has ordained certain functions and responsibilities to be entrusted to elected Urban Local Bodies.

Whereas, in consonance with 74th amendment, Bihar Municipal Act, 2007 has been enacted, wherein it is inter-alia, provided that there shall be a Mayor/Deputy Mayor/ Chairman elected directly by the electorate registered in respective local areas.

Whereas, for smooth discharge of functions by the elected body, Empowered Standing Committee of Urban Local Body has to be constituted.

Whereas, under the present enactment members of Empowered Standing Committee are nominated by the elected Mayor/Chairman.

Whereas, it has been observed that in the present method of Constitution of Standing Committee many issues arise such as allegation of favoritism, concentration of power in one or the other elected office bearers which indirectly results in centralization of power and responsibilities which is against the spirit of decentralization envisaged in the Constitution of India.

Whereas, it is deemed expedient to decentralize and provide for method of Constitution of Empowered Standing Committee in a more transparent and fair manner.

Whereas, certain class of members by virtue of office held by them at times face difficulty in attending the meetings and therefore appropriate provision has to be made in regard to such office bearers.

Whereas, it is expedient to make provision to meet such exigencies urgently.

Be it enacted by the state legislature of bihar in the 77th year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act shall be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from date of publication in official gazette.

2. ***Amendment of sub-section (3) of Section 12.—***

In sub-section (3) of Section 12 of the said Act, the following proviso shall be added, namely:—

"Members of the Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislative Assembly/State Legislative Council who have been elected from the local body constituency of the municipal area shall be deemed to be members of the Municipality.

Provided that such Members of the Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislative Assembly/ State Legislative Council shall be exempted from attending meetings of the Municipality during the session period of their respective Houses.

Hon'ble Union Minister and Union Minister of State/Hon'ble Cabinet Minister and Minister of State of the State Government/Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/Legislative Assembly/Legislative Council shall, in case of their pre-occupation, be permitted to nominate any person (other than their close relative) as their authorised representative to attend the meeting of the Municipality.

Provided that nominated representative shall have no right to participate in voting."

3. ***Amendment of sub-section (3) of Section 21.—***Sub-section (3) of Section 21 shall be substituted by the following new sub-section (3), namely:—

"The members of the Empowered Standing Committee of the Urban Local Body shall be elected by the concerned Councilors through secret ballot on the basis of majority, under the supervision, direction, and control of the District Magistrate.

Provided that after coming into force of this Act, election shall be held for constituting Empowered Standing Committee within a maximum period of six months."

Note: The Department may issue guidelines from time to time regarding the procedure related to the conduct of voting.

4. ***Amendment in Sub-section (3) of Section 23.—***Sub-section (3) of Section 23 shall be substituted as follows:—

"If any casual vacancy occurs in the office of a member of the Empowered Standing Committee, such vacancy shall be filled in accordance with the prescribed procedure laid down in Section 21(3) and the Councillor so elected shall hold office for the remaining term of his predecessor."

5. ***Amendment of Section 27.*****—**A new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) in following manner :-

"(3) Notwithstanding anything contained in Section 21 or Section 27, Empowered Standing Committee of all Municipal Bodies shall stand dissolved to enable its Constitution by election from amongst the Councillors through secret ballot on the basis of majority, under the supervision, direction, and control of District Magistrate .

Provided that Government may notify the date of dissolution of all Empowered Standing Committee of all Municipal Bodies or any Municipal body with effect from the date to be notified to facilitate holding of Election."

6. ***Repeal and Savings.*****—**

(i) Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No.- 03, 2025) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

ANJANI KUMAR SINGH,
{ ŜŎNJŜ ű ŀNJè ű Ƶ ű ƘŜ DƵǾ

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 273-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in